मज़ारात पर औरतों की हाज़िरी

इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी



मज़ारात पर औरतों की हाज़िरी

मुसन्निफ़

आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा क़ादिरी मुहद्दिस बरेलवी

मुतर्जिम

डा० मौलाना सिराज अहमद क़ादिरी बस्तवी
(एम. ए. पी. एच. डी.)

फ़ेहरिस्त मज़ामीन

हरफ़े आग़ाज़

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

इमाम अहमद रज़ा अलैहिर्रहमत का हिन्दुस्तान ही नहीं बल्कि आलमें इस्लाम की उन अज़ीम हस्तियों में शुमार होता है जिनका वरूदे मसऊद तारीख़ के उस हिस्से में होता है जबकि तमाम अतराफ़ व जवानिब से शजरे इस्लाम को बातिल क़ुव्वतें नेस्तो नाबूद करने की नाकाम कोशिशें करती हैं और अहले इस्लाम को क़िस्म–क़िस्म के सब्ज़ बाग़ दिखाकर बातिल के दाम में फंसा कर इत्तेबाऐ शयातीन पर ला खड़ा करने के लिए हमा रोज़ गामज़न रहती हैं। ऐसे वक़्त में हज़ारहा गर्दिशे लैलो नहार लोगों की उन दुआओं और आरज़ूओं में कट जाती हैं कि परवरदिगारे आलम एक अज़ीम इंसान पैदा फ़रमा जो जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल का मज़हर हो——तब कहीं जाकर ऐसी शख़्सीयत लोगों के सामने नुमायां होती है जो दीनो व दुनिया के वह काम जो आम लोग सदियों में नहीं कर पाते थोड़ी मुद्दत में कर जाती है और दुनिया उसके कारनामे देखकर अंगुश्त बदन्दाँ और मुतहय्यर रह जाती है और यह कहने पर मजबूर हो जाती है कि उसके पीछे कोई ख़ुदाई ताक़त ज़रूर कार–फ़रमा है जो उससे इतने अज़ीम काम अंजाम दिलाती है फिर ऐसी शख़्सीयत को आख़िर–कार दुनिया 'मुजद्दिदे दीन व मिल्लत' कहने पर मजबूर हो जाती है।

मेरी गुफ़्तगू मौजूदा सदी के 'मुजद्दिदे आज़म इमाम अहमद रज़ा अलैहिर्रहमा वर्रिज़वान के बारे में है जिनके बेशुमार कारनामे और तसानीफ़े कसीरा से अवराक़ भरे पड़े हैं। वक़्त का बहुत बड़ा सानिहा है कि आज मुसलमान उस मुजद्दिद की पचास उलूम व फ़ुनून पर लिखी हुई किताबों कि इशाअत तो दर किनार कितनी कुतुबे नादिरा महफ़ूज़ भी न रख सके अगरचे इशाअती काम मामूली नहीं इसमें हज़ारहा दिक़्क़तें सामने आती हैं। सैकड़ों वसाइल तलाश करने पड़ते हैं। साथ ही माल व दौलत की फ़रावानी भी चाहिए इस लिहाज़ से यह काम अहले दुवल का था। मगर इस्लाम की तरफ़ से उनकी तवज्जोह ज़्यादातर हट जाने की वजह से ग़रीब मुसलमानों ही ने यह बेड़ा उठाया। हां इस मौज़ू पर अल–मजमउल

इस्लामी का ज़िक्र बेजा न होगा जिसने अपनी दाद आफ़रीं काविशों का सुबूत दिया और इसी अकेडमी की तहरीक और कारनामों को देख कर हमारे मदरसा फ़ैज़ुल उलूम के तलबा में भी इशाअती ख़िदमात का जोश व जज़्बा पैदा हुआ। लेकिन इतना बड़ा काम उनके बस का नहीं था मगर उस्तादे गरामी हज़रत मौलाना मुहम्मद अहमद मिस्बाही दामत बरकातुहुम का बहुत बड़ा एहसान है जिन्होंने इस मक़सद की तकमील पर उन्हे ढारस बंधाई और आला हज़रत की किताब *'जुमलुन्नूर फी नह्यिन्निसाए अन ज़ियारतिल .क़ुबूर'* जिसे आज आम लोगों को पढ़ने में दुशवारियों का सामना करना पड़ता है। इसमें अ़रबी मज़ामीन के तर्जुमा के साथ ही ज़रूरी जगहों पर हाशिया से मुज़य्यन करके इस किताब की क़द्रो क़ीमत दोबाला कर दी। नीज़ हम जुमला मुदर्रेसीन व असातज़ा के शुक्र गुज़ार हैं जिन्होंने अपने मुफ़ीद मशवरों और माली तआवुन से हमारे हाथों को मज़बूत फ़रमाया।

अब आख़िर में इस किताब से इस्तिफ़ादा करने वाले तमाम हज़रात से अपील है कि अपनी मख़सूस दुआओं में मजलिसे इशाअ़ते तलबा फ़ैज़ुल उलूम को न भूलें और उसकी तरक़्क़ीए दर्जात की दुआयें करते रहें।

वस्सलाम

अहमदुल क़ादरी भीरवी
मुतअ़ल्लिम मदरसा फ़ैज़ुल उलूम
मुहम्मदाबाद गोहना, मऊ
(8 रजब सन् 1400 हि. शम्बा)

मुतर्जिम की बात

इस्लाही अदब में इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी की इस किताब को अव्वलियत का दर्जा हासिल है आज कल जो कुछ ख़ानक़ाहों और मज़ारों पर अफ़आले शनीआ हो रहे हैं। उनको देखकर इमाम अहमद रज़ा से ग़ैर मानूस तबक़ा उसको इमाम अहमद रज़ा का नज़रिया तसव्वुर करता है और उसी को बुनियाद बनाकर आप पर मुफ़सिद व बिदअती होने का इल्ज़ाम आइद करता है। यह मुग़ालता उसको महज़ इसलिये हुआ कि उसने कभी इमाम अहमद रज़ा कि किताबों से रुजूअ करने की कोशिश न की। वरना आज उम्मते मुस्लिमा से इन्तिशार व इफ़्तिराक़ की ख़लीज काफ़ी पट चुकी होती और दुनिया दिन के उजाले और अपने माथे कि आँखों से मुशाहिदा करती कि इमाम अहमद रज़ा क्या थे? और इस बात का इक़रार करने पर मजबूर हो जाती कि इमाम अहमद रज़ा एक जय्यद अबक़री आलिमे दीन थे उनकी ज़िन्दगी का वतीरा इस्लाहे उम्मत ही था न कि बिदअतों व मुफ़सिदात को फ़रोग़ देना. आज भी उनकी किताबें, उनकी तहरीरें, उनके नज़रियात की तर्जुमान हैं और उम्मते मुस्लिमा के उन अफ़राद से चीख़ चीख़ कर मुतालबा कर रही हैं कि ऐ मुझसे नामानूस लोगो मुझको पढ़ने की कोशिश करो। हक़ीक़त तुम्हारी समझ में ख़ुद आ जायेगी। भला हो उस नये तबक़े का जो इमाम अहमद रज़ा पर तहक़ीक़ व तफ़हहुश का काम कर रहा है और उनके नज़रियात को नये नये गोशों से उजागर करके अपने और पराये तक पहुंचा रहा है। ख़ुद इस बन्दए नाचीज़ ने एक तहक़ीक़ी मक़ाला "इस्लाही अदब में इमाम अहमद रज़ा की सई" के नाम से क़लम बन्द किया था जो सन् 1992 के सालनामा मआरिफ़े रज़ा कराची पाकिस्तान से इशाअत पज़ीर हुआ था। जिसको बाद में लखनऊ के एक जय्यद आलिमे दीन हज़रत क़ारी मुहम्मद अहमद ने कुतुब ख़ाना मीनाइया लखनऊ से किताबी शक्ल में शाया करके उम्मते मुस्लिमा के हर फ़र्द तक पहुंचाने की कोशिश करके मेरी दिली ख़्वाहिशों का एहतिराम किया। अल्लाह तआला हु. जूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम के तुफ़ैल उनको ख़ूब ख़ूब नेकी दे आमीन।

इसके बाद बन्दा इस्लाही अदब के हवाले से इमाम अहमद रज़ा पर एक मुफ़स्सल किताब बनाम "इमाम अहमद रज़ा का नज़रियए ख़ानक़ाह" लिखने का इरादा रखता है। क़ारईन किराम से गुज़ारिश है कि इस नेक काम की तकमील व तअ़मील के लिये दुआयें फ़रमायें, आमीन।

फ़क़त

डा. मौलाना सिराज अहमद कादिरी बस्तवी

(एम. ए., पी. एच. डी.)

अभिसूचना इकाई

पुलिस अधिक्षक कार्यालय, बस्ती

नूर के जुम्ले औरतों को ज़ियारते क़ुबूर से रोकने के बारे में

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّی عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

मसला– मौलवी हकीम अ़ब्दुर्रहीम साहब मुदर्रिस अव्वल मदरसा क़ादिरिया अहमदाबाद (गुजरात) मुहल्ला जमालपुर, 28 सफ़र सन् 1339 हिजरी–

मौलाना मौसूफ़ ने एक रजिस्ट्री भेजी जिसमें बहरूर्राइक़ व तसहीहुल मसाइल मौलाना फ़ज़ले रसूल साहब रहमतुल्लाह अ़लैहि के हवाला से औरतों के लिए ज़ियारते क़ुबूर को जाने की इजाज़त पर ज़ोर दिया गया था उनको यह जवाब भेजा गया।

औरतों के लिए ज़ियारते क़ुबूर की मुमानअ़त

अल–जवाबः– मौलानल मुकर्रम मौलवी हकीम अ़ब्दुर्रहीम साहब ज़ीद करमुकुम अस्सलामु अ़लैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

आपकी दो रजिस्ट्रियां आयीं तीन महीने से ज़ाइद हुए कि मेरी आंख अच्छी नहीं थी। मेरी राय इस मसले में ख़िलाफ़ पर है। मुद्दत हुई इस बारे में मेरा फ़तवा तुहफ़ए हनफ़िया में छप चुका। मैं उस रूख़सत को जो बहरूर्राइक़ में लिखी है मान कर नज़र बहालते निसा सिवाए हाज़रिए रौज़ए अनवर कि वाजिब या क़रीब बवाजिब है। मज़ाराते औलिया या दिगर क़ुबूर की ज़ियारत को औरतों का जाना बइत्तिबाए ग़ुनिया अ़ल्लामा मुहक़्क़िक़ इब्राहीम हलबी हरगिज़ पसन्द नहीं करता ख़ुसूसन इस तूफ़ाने बे तमीज़िए रक़्स व मज़ामीर व सुरूद में जो आजकल जुह्हाल ने आ़रासे तय्यबा में बरपा कर रखा है। उसकी शिरकत तो मैं अ़वाम रिजाल को भी पसन्द नहीं रखता न कि वह जिनको अंजशा रज़ियल्लाहु तआ़ला

अन्हु की हुदी ख़ानी ब–इलहाने ख़ुश पर औरतों के सामने मुमानअत फ़रमाकर उन्हें नाज़ुक शीशियाँ फ़रमाया। वस्सलाम

मौलवी साहब ने दुबारा रजिस्ट्री भेजी जिस पर यह जवाब इरसाल हुआ।

मसलाः– अज़ अहमदाबाद गुजरात मुहल्ला जमालपुर मुरसेलह मौलवी हकीम अब्दुर्रहीम 13 रबिउल आख़िर सन 1939 हिजरी।

मख़दूमी मुकर्रमी मुअज़्ज़मी जनाब मौलाना साहब दाम मुहब्बतकुम

बाद सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू के वाज़िह राय आली हो कि मुहब्बतनामा मौसूल हुआ। फ़तवा को आपके देखा। हज़रत मौलाना मुझे आप इस मसले में समझाइये कि मस्जिदे नबवी में तीन सौ मर्द और एक सौ सत्तर औरतें थीं ये मुनाफ़िकीन आख़िरी सफ़ में खड़े हुए थे और औरतों को झांकते बहकाते थे। नमाज़े फ़ज्र व इशा में औरतें तवज्जोहे अनवारे हकीकते मुहम्मदी व हकीकते क़ुरआन के लिए हाज़िर होती थीं तो मुनाफ़िकीन की नालाइक़ हरकत का इन्तिज़ाम ख़ुदाए तआला और क़ुरआने अज़ीम ने यह न किया कि मुनाफ़िकीन और फ़ैज़ लेने वाली औरतों को यह हुक्म दिया होता कि दोनों मस्जिदे नबवी में जमा न हों और फ़ैज़ रिसानी औरतों की इस बहाने से बन्द न हुई। बल्कि इन्तिज़ामे फ़ैज़ रिसानी यह हुआ कि لقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وان ربك هو يحشرهم انه حكيم عليم और इन्तिज़ाम हज़रत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह किया–

خير صفوف الرجال اولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها اولها मस्जिद में औरतों की नमाज़ बन्द हुई। इसको बन्दा मानता है। फ़ैज़े हकीकते मुहम्मदी व हकीकते क़ुरआन

लेने को बापर्दा पाँच दस औरतें मुहल्ला की मिलकर मुर्शिद के मकान पर जायें। और मुर्शिदे तरीक़त मुरतइश और शेख़ फ़ानी पर्दा में बैठा कर उनको तवज्जोह हक़ीक़ते मुहम्मदी और हक़ीक़ते क़ुरआन की दे। उस पर हुक्मे हुर्मत लगाना गलत और फ़ैज़े मुहम्मदी का मुक़ाबला और मूरिद يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ बनना है। शेखे तरीक़त तो إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ الآية में जो अमानत है उसको ज़ाकिरात के सीने में बा पर्दा बैठा कर तवज्जोह देकर जमाता है और यह उस अमानत की जड़ उखेड़ता है। यह फ़ैज जड़ उखाड़ने वाले को बे-वक़ार करके उखाड़ देगा। मुहम्मदिल मशरब सुन्नते हज़रत नबी अ़लैहिस्सलातु वस्सलाम पर अ़मल करता है। हज़रत नबी अ़लैहिस्सलातु वस्सलाम ने औरतों को तवज्जोह दी। अव्वल मुरीद करके यह भी औरतों को मुरीद करके तवज्जोह देता है। तरीक़ए आलिया क़ादिरिया की तवज्जोह कलिमए तय्यबा के ज़िक्र की होती। अब औरतों को पर्दा में बैठा कर ज़िक्र कलिमए तय्यबा की बताई जायेगी। ज़र्बे *इल्लल्लाह* क़ल्ब पर मारना सिखाया जायेगा। पर्दा में औरत ख़लीफ़ा मुर्शिदे तरीक़त की बैठकर ज़िक्र कलिमए तय्यब की सिखाता है और मुर्शिदे तरीक़त ऊँच नीच समझाते हैं। यहां खलवते अजनबिया का हुक्म नहीं लगता यह जलवत है जवलत में फ़ैज़ रिसानी तरीक़ए आलिया क़ादिरिया की होती है और इसी तरह इस मजलिस में तरीक़ए नक़्शबन्दिया मुजद्दिदया की तवज्जोह भी औरतों को दी जाती है।

बरेली में हाज़िरी का कई बार मौक़ा हुआ है। वहां यह अमल देखने में नहीं आया। न वहां सुना कि कोई मशाइख़ यह करते हैं। हमारे यहां डोली मियाना मुश्किल से मिलता है। ग़ुरबा व मसाकीन में क़ुदरत इन सवारियों में बैठने की नहीं और न क़ुरआने अज़ीम ने डोली व मियाना का हुक्म दिया है। يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ

और قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ और وَالْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ इस पर्दा पर अहमदाबाद की ज़ाकिरात का अमल है।

उमदतुल कारी शरहे बुखारी जिल्द नं० 4 सफ़हा 78

حاصل الکلام من ھذا کلہ ان زیارۃ القبور مکروھۃ للنساء بل حرام فی ھذا الزمان لاسیما نساء مصر لان خروجھن علے وجہ الفساد والفتنۃ وانما رخصت الزیادۃ لتذکرامر الآخرۃ وللاعتبار بمن مضی وللتزھد فی الدنیا

यह हुक्म मिस्र की बग़ाया मुग़न्निया दल्लाला का है। इस हुक्म को नेक बख़्त औरतों पर लगाना ग़लत है।

की शरह उमदतुल कारी जिल्द 3 सफ़हा 30 لوادرک رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم ما احدثت النساء بعضھن یغنین باصوات عالیۃ مطربۃ ومنھن صنف بنایا में है।

अहमदाबाद में तीन कोस दरगाह हज़रत गंज अहमद रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की है। मकान बहुत पुर–फ़ज़ा है और तालाब संगीन है। वहां धुनिये की क़ौम और लकड़ बेचने वाली क़ौम की औरतें लहंगा साड़ी पहन कर जाती हैं और गर्बे गाती हैं और उनकी क़ौम की ज़ियाफ़तें होती हैं। उसमें वह औरतें गर्बे गाती हैं। हल्क़ा औरतों का बन जाता है और ताली बजाती हैं और फिरती जाती हैं रंडियों की तरह गीत गाती जाती हैं। उन पर بل حرام فی ھذا الزمان لاسیما نساء مصر का हुक्म बराबर उम्दा तौर पर चिस्पाँ है और ग़ुनियतुल मुसतमली के सफ़हा 595 में وان یکون فی زماننا للتحریم لما فی خروجھن من الفساد और जो औरतें क़व्वाली रंडियों की और क़व्वाली मर्दों की सुनने जाती हैं। उनको ज़ियारते क़ुबूर को जाना हराम है।

उनके हराम होने से ज़ाकिरात और फ़ैज़ लेने जाने वाली

औरतों को क्या नुक़्सान अगरचे ऐसी औरत हज़ारों में एक हो। दस हज़ार आदमियों ने कुत्ते और ख़िनज़ीर के गोश्त की बिरयानी पकाई है और एक ने बकरी के गोश्त की बिरयानी पकाई दोनों बिरयानियों पर हुक्मे हुर्मत और हुक्मे हिल्लत ग़लत, और कुत्ते की बिरयानी पर हुक्मे हुर्मत और बकरी की बिरयानी पर हुक्मे हिल्लत सही दोनों का हुक्म जुदा मुफ़ती को बयान करना पड़ेगा।

افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ام نجعل المتقين كالفجّار

असाफ़ और नाइला ने जाहिलियत में ज़िना किया और क़ुदरते इलाहिया ने दोनों को मसख़ कर दिया। ऐसे मुतबर्रक मकान में दोनों ने ख़बासत की। या कोई सफ़रे हरमैन तय्यबैन में ख़बीस अ़मल से पेश आये तो क्या उस ख़बीस की ख़बासत को देखकर और उससे इस्तिनाद करके औरतों के हज व ज़ियारत हज़रत नबी अ़लैहिस्सलातु वस्सलाम के अदमे जवाज़ का फ़तवा जारी कर दिया जायेगा, हरगिज़ नहीं।

हज़रत ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती के मज़ारे मुक़द्दस में ग़रबी दीवार में कलाम मजीद रखा है उस दीवार के पीछे औरतें बैठकर तवज्जोह लेती हैं ज़िक्र फ़िक्र मुराक़बा करती हैं। बुर्क़ा ओढ़ कर आती हैं। इख़्तिलात मर्दों और औरतों का यहां बिल्कुल नहीं। अब यह औरतें नुरूल्लाह दिल में भरने के लिए हाज़िर होती हैं। यह फ़ैज़ रिसानी हक़ीक़ते मुहम्मदी की औरतों को ख़्वाजा ग़रीब नवाज़ क़ुदिसा सिर्रहुल अ़ज़ीज़ करते हैं और इस फ़ैज़ में वह क़ुव्वत है कि लाखों कोसों से फ़ैज़ लेने वालियों को आप बुला लेते हैं यह जगह मक़ामे क़व्वाली से दूर है और नमाज़े फ़ज्र से इशराक़ तक और मग़रिब और इशा के बीच में इस पर्दे वाले मकान में औरतें जमा हो कर फ़ैज़ लेती हैं और उस वक़्त नुक़्सान क़व्वाली का बिल्कुल नहीं और यह औरतें नेक बख़्त पर्दानशीन बुर्क़ा ओढ़कर आने वाली हैं आपने इसको आंखों से नहीं देखा और मैंने इसको आंखों से देखा

है। बन्दा इसको शहादत के तौर पर बयान कर सकता है और आपको आंखों से दिखा कर तसल्ली कर सकता है। अब इन औरतों पर हुक्मे हुर्मत लगाना ग़लत है।

सरखीज़ क़सबा, अहमदाबाद में जो औरतें गर्बे गाने वालियां फ़ाहिशात मुग़न्नियात और रंडी हैं और बा पर्दा सवा लाख कलिमए तय्यब का ख़त्म पढ़ने वाली ज़िक्रे ख़फ़ी मुराक़बा फ़ैज़े हक़ीक़ते मुहम्मदी लेने वाली ज़ाकिरात पर रंडियों का हुक्म लगा कर दोनों को एक फांसी में लटका देना ग़लत है। हुक़ूक़े औलिया व ख़ैर ख़्वाहिए औलिया व ख़ैर–ख़्वाहिए सय्यदुल अव्वलीन वल–आख़रीन सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम यह नहीं الدين النصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين यह कहां हुई। औलिया फ़ैज़े हक़ीक़ते मुहम्मदी का देने को ज़ाकिरात को बुलाते हैं, वह बा–पर्दा और शरीअ़त के अहकाम को सर पर रखकर हाज़िर होती हैं और मुफ़्ती उन पर हुक्मे अ़दमे जवाज़ लगा दें।

इस सूरत में फ़ैज़े हक़ीक़ते मुहम्मदी को रोकना है। इसका नाम दोस्तीए हज़रत नबी अ़लैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं। हम आप से छोटे और आपके इक़दाम को अपने सरों पर रखने वाले हैं। मगर आप का क़दम सिराते मुस्तक़ीम से फिसल गया तो अ़र्ज़ करना चाहिए। हुद हुद दो पैसे की चिड़िया, हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलातु वस्सलाम कि ख़िदमत में अ़र्ज़ करता है।

أَحَطتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ

अव्वल तो एक मुद्दत से आंखें आपकी रमद में मुबतला हैं और हाथ बड़ों–बड़ों से मिलाया है। तबीअ़त परेशान है, यह क़लम इस वक़्त मेरा न समझिये आपके हम ग़ुलाम हैं, तो दस्त बस्ता अ़र्ज़ करते हैं इसको आप बग़ावत न समझें।

हज़रत आइशा सिद्दीक़ा को ज़ियारते क़ुबूर के वक़्त सलाम करना, हज़रत नबी अ़लैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया। मिशकात

शरीफ़, मुस्लिम शरीफ नेसई जिल्द 1 सफ़हा 635 में है "ईं दलालत दारद बर जवाज़े ज़ियारत मर निसा रा" इमामा नुव्वी शरह मुस्लिम की जिल्द (1) सफ़हा 314 में फ़रमाते हैं। فيه دليل لمن جوز للنساء زيارة القبور الخ फ़तहुल बारी पारा (5) मतबअ अंसारी देहली सफ़हा 662 में है। اُختلف في النساء فقيل دخلن في عموم الاذن وهو قول الاكثر ومحله اذا امنت الفتنة

अब ततबीक़ समझ लीजिऐ कि गर्बे गाने वाली, क़व्वाली सुनने वाली औरतों के लिए ज़ियारते क़ुबूरे औलिया को जाना हराम और फ़ैज़े इलाही लेने वाली औरतों को बापर्दा शरीअत के अहकाम को बजा लाकर करना जाइज़।

मैंने मसला इस तरह मुशर्रह बयान किया है। इसको आप सही समझते हैं या मेरी समझ में कोई ग़लती है मुझे समझाईये। आप मेरे मुरब्बी और क़िब्ला व कअबए हाजात हैं ख़ुदा तआला आपको सिहते कुल्लिया आजिला अता फ़रमाये– आमीन सुम्म आमीन0

रक़मुहू हकीम अब्दुर्रहीम अफ़ी अन्हु
मुदर्रिसे अव्वल मदरसा क़ादिरिया,
अहमदाबाद (गुजरात)
दकन–जमालपुर मस्जिद कांच

मुअर्रख़ा 15 रबिउल अव्वल शरीफ़———और मुस्तफ़ा मियां (हुज़ूर मुफ़्तीए आज़म हिन्द साहब) को पास बैठा कर इसका जवाब उनसे लिखवा कर मेरी तसल्ली कर दीजिए मैं ग़लत समझा हूं तो सही समझाईये और वह फ़तवा जो तुहफ़ए हनफ़िया में अदमे जवाज़ ज़ियारते क़ूबूरे निसा (औरतों) के बारे में है उसकी नक़ल भी करवा कर रवाना फ़रमाईये उसके दलाइल से भी वाक़िफ़ होना बन्दा चाहता है।

अल–जवाब

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم

मौलानुल–मुकर्रम अकरमुकुम व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। आपकी रजिस्ट्री 15 रबीउल आख़िर शरीफ़ को आई मैं 12 रबीउल अव्वल शरीफ़ की मजलिस पढ़कर शाम ही से ऐसा अलील हुआ कि कभी न हुआ था। मैंने वसीयत नामा भी लिखवा दिया था आज तक यह हालत है कि दरवाज़ा से मुत्तसिल मस्जिद है। चार आदमी कुर्सी पर बैठाकर मस्जिद ले जाते और लाते हैं।[1] मेरे नज़दीक वही दो हर्फ़ कि अव्वल गुज़ारिश हुए काफ़ी थे अब क़दरे तफ़सील करूं।

क़दीम उलमा की तरफ़ से औरतों के लिए ज़ियारते क़ुबूर की मुमानअ़त

पहले गुज़ारिश कर चुका कि इबारात रूख़सत मेरी नज़र में हैं।[2] मगर नज़र बहाले ज़माना मेरे, न मेरे बल्कि अकाबिरे मुतक़द्दमीन (पहले के बड़े–बड़े उलमा) के नज़दीक सबीले

1. इस इबारत से जहां यह ज़ाहिर हुआ कि हज़रत सख़्त बीमार थे, वहीं यह भी पता चला कि ऐसी सख़्त अ़लालत में भी जमाअ़त छोड़कर घर में तन्हा नमाज़ पढ़ लेना गवारा न था। जबकि इतनी शदीद अ़लालत बिला शुब्हा तर्के जमाअ़त के लिए उज़्र है। एक मर्तबा उस्तादे मोहतरम हुज़ूर हाफ़िज़े मिल्लत मौलाना शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब मुरादाबादी अलैहिर्रहमा (1312 हि./1396हि.) बानी अल–जामिअ़तुल अशरफ़िया मुबारकपुर ने आला हज़रत की इसी बीमारी का हाल बयान किया कि "एक बार मस्जिद ले जाने वाला कोई न था, जमाअ़त का वक़्त हो गया, तबीअ़त परेशान, नाचार ख़ुद ही किसी तरह घिसटते हुए हाज़िरे मस्जिद हुए और बा–जमाअ़त नमाज़ अदा की" आज सेहत व ताक़त और तमामतर सुहूलत के बावजूद तर्के नमाज़ और तर्के जमाअ़त के माहौल में यह वाकिया ऐ अज़ीम दर्से इबरत है।

2. इस जुमले से फ़ाज़िल बरेलवी के फ़तवा की अहमियत मालूम होती है। ऐसा नहीं कि उनकी नज़र में सिर्फ़ मुमानअ़त वाली इबारतें थीं। जिन इबारतों से औरतों के ज़ियारते क़ुबूर की इजाज़त का इस्तम्बात सा सुबूत हो सकता है वह भी सामने हैं—— और जिन दलाइल से नाजाइज़ होना साबित होता है वह भी सामने हैं। सब पेशे नज़र रखते हुए

मुमानअ़त ही है और इसी को अहले एहितयात ने इख़्तियार फ़रमाया। आप खुद फ़रमाते हैं कि मुनफ़िक़ीन के बाइस औरतों को मस्जिदे करीम में हाज़िरी से अल्लाह जल्ल व अ़ला व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने मुमानअ़त फ़रमाई। बल्कि मुनाफ़िक़ों को तह़दीद व तरहीब (ख़ौफ़ और डर सुनाना) और मर्दों को तक़द्दुम (आगे होना) औरतों को तअख़्ख़ुर (पीछे रहना) की तरग़ीब फ़रमायी।

हुज़ूरे अकरम की तरफ़ से औरतों को नमाज़े ईद पढ़ने का हुक्म

और मैं इतना और ज़ाइद करता हूं कि सिर्फ़ यही नहीं बल्कि निसा (औरत) को हुज़ूर ने ईदैन.........की सख़्त ताकीद फ़रमाई। यहां तक हुक्म फ़रमाया कि बरकते जमाअ़त व दुआये मुस्लिमीन लेने को हैज़ वालियां भी निकलें। मुसल्ले से अलग बैठें। पर्दानशीन व कुंवारियां भी जायें जिसके पास चादर न हो साथ वाली उसे अपनी चादर में ले ले।

सहीहैन में उम्मे अ़तिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से है।

أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ وَتَعْتَزِلَ

हमें हुक्म दिया गया कि हम हैज़ वालियों को ईदैन के दिन निकालें और पर्दा वालियों को। तो यह मुसलमानों की जमाअ़त और उनकी दुआ में शरीक हों और हैज़ वालियां उनकी नमाज़ गाह से किनारे रहें। एक औरत ने अर्ज़

अकाबिर उलमा की तरह खुद भी मुमानअ़त ही का फ़ैसला किया, और इसे भी वाज़ेह फ़रमाया कि आख़िर औरतों के लिए ज़ियारते क़ुबूर को जाना क्यों जाइज़ नहीं? मौला तआला हमें शरीअ़त की रोशनी में सोचने, समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।

اَلْحُيَّضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ قَالَتِ امْرَأَةٌ - يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا

किया या रसूलल्लाह! हम में कोई ऐसी भी है जिसके पास (पर्दा करने के लिए) चादर नहीं, फ़रमाया उसके साथ वाली उसको अपनी चादर से एक हिस्सा ओढ़ा दे।

हुज़ूरे अकरम का हुक्म कि औरतों को मस्जिद से न रोको

और यह सिर्फ़ ईदैन में अम्र (हुक्म) ही नहीं बल्कि मसाजिद से औरतों को रोकने से मुतलक़न नही (मुमानअ़त, रोकना) भी इर्शाद हुई कि अल्लाह की बांदियों को अल्लाह की मस्जिदों से न रोको मुसनद इमाम अहमद व सही मुस्लिम शरीफ़ में है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया لَا تَمْنَعُوْا اِمَاءَ اللّٰهِ مَسَاجِدَ اللّٰهِ अल्लाह की बांदियों को अल्लाह की मस्जिदों से न रोको। यह हदीस[1] सही बुख़ारी किताबुल जुमा में भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहिवसल्लम का अम्र वजूब के लिये है और न ही तहरीम के लिये और फ़ैज़ व बरकत लेने का फ़ाइदा खुद हदीस में इर्शाद हुआ। बई हमा आप ही लिखते हैं कि मस्जिद में औरतों की नमाज़ बन्द हुई इसको बन्दा मानता है।

---

1. इतनी बात है कि इस में सहाबी के नाम की सराहत नहीं तो किसी ने कहा यह हज़रत उमर से मरवी है। जैसा कि मुहद्दिस अब्दुर्रज़्ज़ाक और इमाम अहमद की तसनीफ़ात में यह हदीस हज़रत उमर से मरवी है और किसी ने कहा कि हज़रत इब्ने उमर से रिवायत है। जैसा कि इमाम मुस्लिम और इमाम अहमद के यहां है।

لـه غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِيْهِ بِاِسْمِ الصَّحَابِيِّ فَقِيْلَ عَنْ عُمَرَ كَمَا عِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَاَحْمَدَ وَقِيْلَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَمَا عِنْدَ مُسْلِمٍ وَاَحْمَدَ - وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ مِنْهُ غُفِرَ لَهُ

महफ़िले वअ़ज़ और जमाअ़त में औरतों की शिरकत नाजाइज़ है

दुर्रे मुख़्तार की इबारत आप से मख़फ़ी न होगी कि ......

يكره حضورهن الجماعة ولو لجمعة وعيد ووعظ مطلقا ولو عجوز ليلا على المذهب المفتى به لفساد الزمان

फ़सादे ज़माना के बाइस जमाअ़त में औरतों की हाज़िरी मुतलक़न ममनूअ़ (मकरूहे तहरीमी व नाजाइज़) है। अगरचे जुमा या ईद या वअ़ज़ के लिये हाज़िरी हो। अगरचे बुढ़िया की हाज़िरी शब ही को हो यह उस मज़हब के मुताबिक़ है। जिस पर फ़तवा है।

इसी तरह और कुतुबे मुअ़तमिदा में है। अइम्मए दीन ने जमाअ़त व जुमा व ईदैन दर किनार वअ़ज़ की हाज़िरी[1] से भी मुतलक़न मना फ़रमा दिया। अगरचे बुढ़िया हो, अगरचे रात हो,

1. जलसों और महफ़िलों में औरतों को दावते शिरकत देने वाले इससे सबक लें और सोचें कि जब नमाज़ की जमाअ़तों और जुमा व ईदैन से औरतों को रोक दिया गया तो जलसों में जाने की इजाज़त कैसे होगी, फिर यह भी देखना चाहिए कि वहां जाकर वह इल्म व फ़ैज़ कितना हासिल करती हैं। शाज़ो नादिर कुछ औरतें ऐसी होंगी जो बग़ौर वअ़ज़ सुनें और उस पर अमल करें वरना वह पन्चानवे फ़ीसद बल्कि निन्नानवे फ़ीसद तो गोया जलसों के बहाने बाहम मिलकर बातें करने जाती हैं। औरतों की तर्बियत व तालीम के लिए हमें भी वही राह इख़्तियार करनी होगी जो हमारे अगले बुज़ुर्गों ने इख़्तियार की उन्हें उनके शौहर माँ–बाप या दीगर नेक महारिम, दीनी मालूमात और शरई अहकाम बाहम पहुंचायें कुछ लोग अपनी लड़कियों को ऐसी तालीम दें कि वह दूसरी लड़कियों और ख़्वातीन को पर्दे और अहकामे शरीअ़त की पाबन्दी के साथ बहुस्नो ख़ूबी दीनी अहकाम बतायें और सिखायें। जिस तरह माँ–बाप अपनी लड़कियों को घर के काम–काज सिखाने में पूरी सख़्ती ख़ैरख़्वाही एहतिमाम और तवज्जोह का मुज़ाहिरा करते हैं। इसी तरह दीन के मामले में भी अपनी मेहनत व तवज्जोह का सुबूत दें और शुरू ही से उनमें दीनी मिज़ाज पैदा करें, दीनी अहकाम सिखायें, अमल करायें, और ज़रूरी किताबों की तालीम दिलायें ताकि वह बड़ी होने के बाद घर के अन्दर रह कर ही मुताला व मुज़ाकरा और शौक़ व मेहनत

वअ़ज़ से मक़सूद तो सिर्फ़ अख़ज़े फ़ैज़[2] व समाअ़, अम्र बिल मअ़रूफ़ व नही अनिल मुनकर व तसहीहे अक़ाइद व आमाल है कि तवज्जोहे मशैख़त[3] से हज़ार दर्जा अहम व आज़म और उसकी असल मुक़द्दम है। इसका फ़ैज बे तवज्जोह मशैख़त भी अ़ज़ीम मुफ़ीद व दाफ़ेअ़ हर ज़ररे शदीद है और यह न हो तो तवज्जोहे मशैख़त कुछ मुफ़ीद नहीं बल्कि ज़रर से क़रीब नफ़अ़ से बईद है। क्या इमाम आज़म व इमाम अबू यूसुफ़ व इमाम मुहम्मद व साइर अइम्मए मा बअ़द रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हुम को फ़ैज़ हीक़क़ते अक़दस से रोकने वाला और मआ़ज़ अल्लाह मआ़ज़ अल्लाह

में दाख़िल माना जायेगा। हाशा यह अतिब्बाए क़ुलूब है मुसालहे शरअ़ जानते हैं।

हज़रत आइशा और ताबईन की तरफ़ से औरतों के लिए मस्जिद में आने की मुमानअ़त

सही बुख़ारी व सही मुस्लिम सोनने अबू दाऊद में उम्मुल मुमेनीन आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा का इर्शाद अपने ज़माने में था।

لَوْ اَدْرَكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ۔

अगर नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम मुलाहज़ा फ़रमाते, जो बातें औरतों ने अब पैदा की हैं तो ज़रूर उन्हें मस्जिद से मना फ़रमा देते जैसे बनी इस्राईल की औरतें मना कर दी गयीं।

से अपनी मालूमात में इज़ाफ़ा और शरीअ़त पर अमल करती रहें।

2. फ़ैज़ लेना, नेकी का हुक्म और बुराई की मुमानअ़त सुनना, अक़ीदा व अमल सही करना।

3. पीरी की तवज्जोह।

4. चाहते हैं कि अल्लाह का नूर अपने मुंह (या, मुंहों) से बुझा दें।

फिर ताबईन ही के ज़माने से अइम्मा ने मुमानअत शुरू फ़रमा दी पहले जवान औरतों को फिर बुढ़ियों को भी, पहले दिन में फिर रात को भी, यहां तक कि हुक्मे मुमानअत आम हो गया। क्या उस ज़माने की औरतें गर्बे वालियों की तरह गाने नाचने वालियां या फ़ाहिशा दल्लाला थीं अब सालिहात हैं? या जब फ़ाहिशात ज़ाइद थीं, अब सालिहात ज़्यादा हैं? या जब फ़ुयूज़ व बरकात न थे, अब हैं? या जब कम थे? अब ज़ाइद हैं? हाशा बल्कि क़तअ़न यक़ीनन अब मुआ़मला बिल अ़क्स (उल्टा, पहले के बर खिलाफ़) है। अब अगर एक सालिहा है, तो जब हज़ार थीं। जब अगर एक फ़ासिक़ा थी अब हज़ार हैं। अब अगर एक हिस्सा फ़ैज़ है, जब हज़ार हिस्से था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं।

لَا يَأْتِيْ عَامٌ اِلَّا وَالَّذِيْ بَعْدَهٗ شَرٌّ مِّنْهُ यानी हर बाद वाला साल पहले से बुरा होगा।

बल्कि इनाया इमाम अकमलुद्दीन बाबरती में है कि अमीरूल मुमेनीन फ़ारूके आज़म रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु ने औरतों को मस्जिद से मना फ़रमाया। वह उम्मुल मुमेनीन हज़रत सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हा के पास शिकायत ले गयीं। फ़रमाया अगर ज़मानए अक़्दस में हालत यह होती। हुज़ूर औरतों को मस्जिद में आने की इजाज़त न देते।

हज़रत उमर फ़ारूक़ की तरफ़ से मुमानअत

حيث قال (है–स क़ा–ल) उनके अल्फ़ाज़ यह हैं।

وَلَقَدْ نَهٰى عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ النِّسَاءَ عَنِ الْخُرُوْجِ اِلَى الْمَسَاجِدِ فَشَكَوْنَ اِلٰى عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا فَقَالَتْ لَوْ عَلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَلِمَ عُمَرُ مَا اَذِنَ لَكُنَّ فِي الْخُرُوْجِ۔

जवान और बूढ़ी औरतों के लिए जमाअत में शिरकत की मुमानअत

फिर फ़रमाया:—

فَاحْتَجَّ بِهٖ عُلَمَاءُنَا وَمَنَعُوا الشَّوَابَّ عَنِ الْخُرُوْجِ مُطْلَقًا۔ اَمَّا الْعَجَائِزُ فَمَنَعَهُنَّ اَبُوْحَنِیْفَةَ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ عَنِ الْخُرُوْجِ فِی الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ دُوْنَ الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالْفَتْوٰی الْیَوْمَ عَلٰی کَرَاهَةِ حُضُوْرِهِنَّ فِی الصَّلٰوةِ کُلِّهَا لِظُهُوْرِ الْفَسَادِ۔

इससे हमारे उलमा ने इस्तिदलाल किया और जवान औरतों को निकलने से मुतलक़न मना फ़रमा दिया। रही बूढ़ियां तो इमाम अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन्हें ज़ुहर व अस्र में निकलने से मना किया फ़ज्र व मग़रिब और इशा से नहीं, मगर आज फ़तवा इस पर है कि बूढ़ियों की हाज़िरी भी तमाम नमाज़ों में मकरूह है। क्योंकि अब फ़साद नुमाया है।

हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने कंकरियां मार कर औरतों को मस्जिद से निकाला

उसी अैनी जिल्द सोम में आपकी इबारते मनक़ूला से एक सफ़हा पहले है।

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ اَلْمَرْاَةُ عَوْرَةٌ وَاَقْرَبُ مَا تَکُوْنُ اِلَی اللّٰهِ فِیْ قَعْرِ بَیْتِهَا فَاِذَا

यानी हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते! औरत सरापा शर्म की चीज़ है सबसे ज़्यादा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से क़रीब अपने घर की तह में होती है और जब

خرجت استشرفها الشيطان وكان ابن عمر رضى الله تعالى عنهما يقوم يحصب النساء يوم الجمعة يخرجهن من المسجد و كان ابراهيم يمنع نساءه الجمعة و الجماعة

बाहर निकले शैतान उस पर निगाह डालता है और हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा जुमा के दिन खड़े होकर कंकरियां मार कर औरतों को मस्जिद से निकालते और इमाम इब्राहीम नख़ई ताबई उस्ताज़ुल उस्ताज़ इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी मस्तूरात को जुमा व जमाअत में न जाने देते।

जब उन ख़ैर के ज़मानों में, उन अज़ीम फ़ुयूज़ व बरकात के वक़्तों में औरतें मना कर दी गयीं, और काहे से? हुज़ूर मसाजिद व शिरकते जमाअत से! हालांकि दीने मतीन में उन दोनों की शदीद ताकीद है तो क्या इन अज़मन्हे शुरूर (ख़राबियों बुराइयों के ज़मानों में) इन कलील या मौहूम फ़ुयूज़ के हीले से औरतों को इजाज़त दी जाएगी? वह भी काहे की? ज़ियारते क़ुबूर को जाने की! जो शरअ़न मुअक्कद नहीं और ख़ुसूसन इन मेलों ठ़ेलों में जो खुदा नातरसों ने मज़ाराते किराम पर निकाल रखे हैं, यह किस क़दर शरीअते मुत्तहहरा से मुनाक़ज़त है (बाहम एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात करना) है।

ख़राबी के असबाब को दूर करना अहम है

शरअ़ मुतह्हर का क़ाइदा है कि जलबे मसलिहत (ख़ूबी पैदा करने वाली चीज़ लाना, ख़ूबी का सबब हासिल करना) पर सलबे मुफ़सिदा (बुराई का सबब दूर करना) को मुक़द्दम रखती है।

درء المفاسد اهم من جلب المصالح

ख़राबी के असबाब दूर करना ख़राबी के असबाब लाने से अहम है।

जब कि मुफ़सिदा इससे बहुत कम था इस मसलिहते अज़ीमा से अइम्मए दीन इमामे आज़म व साहिबैन[1] व मन बादहुम[2] ने रोक दिया और औरतों की मिस्लें न बनायें कि सालिहात जायें, फ़ासिकात न आयें बल्कि एक हुक्मे आम दिया जिसे आप एक फांसी में लटकाना फ़रमा रहे हैं। क्या उन्होंने यह आयतें न सुनी थीं।

دَرْءِ الْمَفَاسِدِ اَهَمُّ مِنْ

तो क्या जो ईमान वाला है वह उस जैसा हो जायेगा जो बे हुक्म है।

या हम परहेज़गारों को शरीर बे हुक्मों के बराबर ठहरा दें।

तो अब के मुफ़सदा जब से बहुत अशद (सख़्त तर) है इस मसलिहते क़लील से रोकना क्यों न लाज़िम होगा और औरतों की क़िस्में क्यों कर छांटी जायेंगी।

सलाह व फ़सादे क़ल्ब अम्रे मुज़मर (दिल की दुरुस्ती और ख़राबी पोशीदा चीज़ है) और दावे के लिये सबकी ज़बान कुशादा और मुहिक़्क़ो मुबतिल (हक़ वाला और बातिल) ना मालूम, लिहाज़ा

1. इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नोअमान बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दो ख़ास शागिर्द हैं जो मसलके हनफ़ी के इमाम भी हैं। इमाम क़ाज़ी अबू यूसुफ़ याक़ूब, इमाम मुहम्मद बिन अलहसन शैबानी। इमाम मुहम्मद ने इमाम अबू यूसुफ़ से भी इल्म हासिल किया है। इसलिए उनके उस्ताद इमामे आज़म और इमाम अबू यूसुफ़ दोनों हज़रत हैं जब इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मुहम्मद को एक साथ ज़िक्र करते हैं तो उन्हें साहिबैन कहते हैं कि यह दोनों हज़रत इमाम साहब के शागिर्द होने की निस्बत से आपस में साथी हैं और जब इमामे आज़म और इमाम अबू यूसुफ़ को एक साथ ज़िक्र करते हैं तो शैख़ैन कहते हैं। क्यों कि इमाम मुहम्मद की बनिस्बत यह दोनों हज़रात शैख़ और उस्ताद हैं— और जब इमामे आज़म और इमाम मुहम्मद को एक साथ ज़िक्र करते हैं तो तरफ़ैन कहते हैं। क्योंकि यह दोनों हज़रात इमाम अबू यूसुफ़ की बनिस्बते तरफ़ हैं।

इमाम अबू यूसुफ़ दर्मियानी हैसियत के हामिल हैं कि एक तरफ़ इमाम साहब के शागिर्द हैं तो दूसरी तरफ़ इमाम मुहम्मद के उस्ताद और इमामे आज़म दोनों हज़रात के लिहाज़ से उस्ताद ही हैं— और इमाम मुहम्मद दोनों हज़रात के लिहाज़ से शागिर्द ही हैं

2. और उन इमामों ने भी रोक दिया, जो उनके बाद हैं।

सलाह से फ़साद की तरफ़ इन्क़लाब कुछ दुशवार नहीं ख़ुसूसन हवा लगकर, ख़ुसूसन औरतों के दिल की तक़ल्लुब (के लिये इन्क़लाब व तक़ल्लुब, पलटना, फिर जाना) के लिये बहुत आमादा, व लिहाज़ा।

अपने नफ़्स पर एतिमाद करने वाला अहमक़ है

رُوَيْدَكَ اَنْجَشَةُ رِفْقًا بِالْقَوَارِيْرِ

शीशियों के साथ नर्मी की ख़ातिर अन्ज़ुशा! सवारियां आहिस्ता चलाओ।

इर्शाद हुआ कि मर्द अपने नफ़्स पर एतिमाद करे अहमक़ है न कि औरत, नफ़्स तमाम जहान से बढ़कर झूठा है। जब क़सम खाये, हलफ़ उठाये, न कि जब ख़ाली वादों पर उम्मीद दिलाये।

وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا

और शैतान उन्हे वादे नहीं देता मगर फ़रेब के।

बिलख़ुसूस अबकि ज़मानअ़न फ़साद ग़ालिब और सलाह नादिर है इस सूरत में मुफ़्ती को तफ़सील (अलग–अलग करना) क्योंकर जाइज़, यह तफ़सील न होगी बल्कि शैतान को ढील और उसकी रस्सी ततवील (लम्बा करना, दराज़ करना)।

इमाम मुहक़्क़िक़ अलल इतलाक़ फ़तहुल क़दीर में फ़रमाते हैं

اَلْفَائِزُوْنَ مِنْهُنَّ مَعَ السَّلَامَةِ اَقَلُّ قَلِيْلٍ فَلَا يُبْنَى الْفِقْهُ بِاِعْتِبَارِهِمْ وَلَا يُذْكَرُ حَالُهُمْ قَيْدًا فِي الْجَوَازِ

बसलामत[1] इसे पाने और कामयाब होने वाले कम से कमतर हैं तो फ़िक़्ह की बुनियाद उनके एतबार पर न होगी न उनका हाल क़ैदे जवाज़ बना कर ज़िक्र होगा।

---

1. अल्लामा कमालुद्दीन इब्नुल हुमाम अलैहिर्रहमा की इबारत 'हरमे पाक में सुकूनत' से मुतअ़ल्लिक़ है। मक्का मुकर्रमा में नेकियों का अज्र बेपनाह है, मगर गुनाहों का वबाल भी बड़ा सख़्त है। हरमे पाक की ताज़ीम व तौक़ीर और अदब व एहतेराम भी वाजिब है और

لِاَنَّ شَانَ النُّفُوْسِ الدَّعْوٰی الْکَاذِبَۃُ وَاِنَّھَا لَاَکْذَبُ مَا یَکُوْنُ اِذَا حَلَفَتْ فَکَیْفَ اِذَا ادَّعَتْ۔

क्योंकि नफ़्स का काम ही झूटा दावा करना और यह सबसे बड़ा झूटा उस वक़्त होता है जब क़सम खाए तो जब यह महज़ दावा करे उस वक़्त क्या हाल होगा?

सादाते सलासा अल्लामा हलबी व अल्लामा तहतावी व अल्लामा शामी फ़रमातें हैं–

وَھُوَ وَجِیْہٌ فَیَنُصُّ عَلَی الْکَرَاھَۃِ وَیَتْرُکُ التَّقْلِیْدَ بِالتَّوْثِیْقِ۔

और यह कलाम वजीह और उम्दा है तो साफ मकरूह होना कहा जाएगा और अपने ऊपर एतमाद की कैद (लगाकर ग़ैर–मकरूह बताना) छोड़ दिया जाएगा। (मुल्तक़िस)[1]

किसी गुनाह का इरादा भी खतरनाक है। इन सबके पेशे नज़र उलमा को इसमें इख़्तिलाफ़ हुआ कि बैरूने हरम का आदमी अगर हरमे पाक में सुकूनत इख़्तियार करना चाहे तो क्या हुक्म है?— बाज़ शाफ़ईया ने बयान किया कि मुस्तहब है। अलबत्ता अगर गुनाह में पड़ने का ज़न्ने ग़ालिब हो तो नहीं। यही इमाम अबू यूसुफ़ व इमाम मुहम्मद का मज़हब है। इमामे आज़म और इमाम मालिक के नज़दीक मकरूह तहरीमी है— साहिबे फतहुल कदीर ने अक़वाले अइम्मा व उलमा और अहादीस सवाब व उक़ाब लिखने के बाद फ़रमाया: हां अल्लाह के कुछ नेक बरगुज़ीदा मुख़लिस बन्दे ऐसे हैं जो सुकूनते हराम के अहल और हसनात और सलवात के इज़ाफ़ा की फज़ीलत इस एहतियात के साथ हासिल करने वाले हैं कि उनसे कोई ऐसी बात न हो, जिससे उनकी नेकियां बरबाद हो जायें। इस इबारत के बाद फरमाया: मगर ऐसे लोग कम से कमतर हैं। अल्ख

फ़ाज़िले बरेलवी अलैहिर्रहमा का इस इबारत से इस्तदलाल यह है कि फ़िक़्ही अहकाम में ग़ालिब व अक्सर का लिहाज़ होता है। क्योंकि दिल की अच्छाई–बुराई पोशीदा चीज़ है और नफ़्स जो सलाह व नेकी और ख़तरात को बसलामत उबूर कर लेने का मुद्दई हो सख़्त झूटा है।

2. साहिबे दुर्रे मुख़्तार अलाउद्दीन मुहम्मद बिन अली हसकफ़ी ने फ़रमाया था (दुर्रे मुख़्तार जिल्द 1 सफ़हा 112 मतबअ़ नवल किशोर लाहौर) मदीना में सुकूनत इख़्तियार करना मकरूह नहीं यूंहीं मक्का में उसके लिए जो अपने नफ़्स पर भरोसा रखता हो। इसी इबारत के पेशे नज़र दुर्रे मुख़्तार के तीनों मुहश्शी उलमाए सादात ने फतहुल कदीर की मज़कूरा बाला इबारत नक़्ल करके फ़रमाया कि जब नफ़्स का यह हाल है तो उसका क्या

नेक और बद में फ़र्क़ मुश्किल है

मुन्तका शरहे मुल्तका में है।

فَنَادِرٌ وَجِيهٌ فَيَنْقُصُ
فَنَادِرٌ فِي هٰذَا الزَّمَانِ
فَلَا يُفْرَدُ بِحُكْمٍ لِحَرَجِ التَّمْيِيزِ
بَيْنَ الْمُصْلِحِ وَالْمُفْسِدِ -

रहे[1] वह जो उनके बर ख़िलाफ़ हैं तो इस ज़माने में वह नादिर हैं लिहाज़ा उनके लिये कोई अलग हुक्म न होगा क्योंकि यह इम्तियाज़ करना दुशवार है कि मुसलेह कौन है और मुफ़सिद कौन?

शरहे लुबाब में है।

لَوْ كَانَتِ الْأَئِمَّةُ فِي زَمَانِنَا وَ
تَحَقَّقَ لَهُمْ شَانُنَا لَصَرَّحُوا بِالْحُرْمَةِ

अगर अइम्मा[2] हमारे ज़माने में होते और हमारी हालत की उन्हें तहक़ीक़ हो जाती तो वह भी सराहतन हराम कहते।

भरोसा? लिहाज़ा सुकूनते हरम को साफ़—साफ़ मकरूह कहा जाएगा।

1. यह इबारत नफ़्क़ए तालिबे इल्म से मुतअ़ल्लिक़ है। बाप पर नादार नाबालिग़ औलाद का नफ़्क़ा वाजिब है। यूं ही उन नाबालिग़ औलाद का जो कमाने से आजिज़ हों अगर कोई बालिग़ फ़रज़न्द ऐसा है, जो कमाने पर क़ादिर है। मगर तलबे इल्मे दीन में मश. गूल है तो उसका ख़र्च बाप पर वाजिब है या नहीं? बाज़ ने कहा वाजिब है और बाज़ ने कहा नहीं है। जिन उलमा ने वाजिब कहा उन्होंने यह क़ैद लगा दी है कि वजूब इस सूरत में है जब तालिबे इल्म फ़रज़न्दे नेक सीरत और वाक़ई तालिबे इल्म हो। वरना उसका नफ़्क़ा बाप पर वाजिब नहीं। साहिबे मुनिया व क़ुनिया व साहिबे मुन्तका फ़रमाते हैं कि अक्सर तलबा रुश्दो सलाह वाले नहीं और हुक्म अक्सर ही के एतबार से होता है। लिहाज़ा मुतलक़न कहा जाएगा कि बाप पर तालिबे इल्म का नफ़्क़ा वाजिब नहीं फ़ाज़िले बरेलवी का इस्तदलाल बस इतने ही से है कि बएतबार अक्सर हुआ करता है। रहा यह कि दौरे हाज़िर में हुक्म क्या होना चाहिए? तो राक़िम के ख़्याल से इसमें तहक़ीक़ व तफ़सील की ज़रूरत है। क्योंकि अब तलबा की कई क़िस्में और मुख़्तलिफ़ हालतें हैं। यूं ही अब इल्मे दीन के हालाते ज़माना भी मुख़्तलिफ़ हैं।

2. मुल्ला अ़ली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह का यह इर्शाद उसी "जवारे हरम" के मसले से मुतअ़ल्लिक़ है। सुकूनते हरमैन के बारे में फ़ाज़िले बरेलवी अलैहिर्रहमा का मुफ़स्सल अरबी रिसाला देखना चाहिए। यह फ़तावा रज़विया जिल्द चहारुम में शामिल है।

औरतों के लिये ज़ियारते क़ुबूर की मुमानअत

ज़ियारते क़ुबूर पहले मुतलक़न ममनूअ थी फिर इजाज़त फ़रमाई। उलमा को इख़्तिलाफ़ हुआ कि औरतें भी इस रूख़सत में दाख़िल हुयीं या नहीं औरतों को ख़ास मुमानअत में हदीस।

لَعَنَ اللهُ الزَّائِرَاتِ الْقُبُوْرِ अल्लाह क़ब्रों की ज़ियारत करने वालियों पर लानत करे।

से क़तअ नज़र करके तस्लीम कीजिये कि हाँ औरतों को भी शामिल हुई। मगर जिस क़दर अव्वल की औरतों को जिन में हुज़ूर मसाजिद व जुमा व ईदैन की इजाज़त बल्कि हुक्म था। जब ज़मानए फ़साद आया इन जरूरी ताकीदी हाज़िरियों से औरत को मुमानअत हो गयी तो उससे यक़ीनन बदर्जे औला।

उसी गुनिया के उसी सफ़हा 595 में उसी आपकी इबारते मनक़ूला से पहले इसके मुत्तसिल है।

يَنْبَغِيْ اَنْ يَكُوْنَ التَّنْزِيْهُ مُخْتَصًّا بِزَمَنِهٖ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ كَانَ يُبَاحُ لَهُنَّ الْخُرُوْجُ لِلْمَسَاجِدِ وَالْاَعْيَادِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ وَاَنْ يَكُوْنَ فِيْ زَمَانِنَا لِلتَّحْرِيْمِ ۔ मुमानअत का तन्ज़ीही होना हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने से ख़ास होना चाहिये, जबकि औरतों के लिये मस्जिदों ईदों वग़ैरह में हाज़िर होना मुबाह था और हमारे ज़माने तो में तो तहरीमी होना मुनासिब है।

नमाज़ के लिए औरतों का निकलना मकरूह है तो क़ब्रिस्तान जाने का क्या हाल होगा?

उसी ऐनी जिल्द चहारुम में आपकी इबारते मनक़ूला से चन्द सतरें पहले इमाम अबू उमर से है।

وَلَقَدْ كَرِهَ اَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ अक्सर उलमा ने तो नमाज़ों के

خُرُوجَهُنَّ إِلَى الصَّلَوَاتِ فَكَيْفَ
إِلَى الْمَقَابِرِ وَمَا أَظُنُّ سُقُوطَ
فَرْضِ الْجُمُعَةِ عَنْهُنَّ إِلَّا دَلِيلًا عَلَى
إِمْسَاكِهِنَّ عَنِ الْخُرُوجِ فِيمَا عَدَاهَا

लिए औरतों का निकलना मकरूह रखा, तो क़ब्रिस्तानों को जाने का क्या हाल होगा? मैं तो यही समझता हूँ कि औरतों से फ़र्ज़े जुमा साक़ित हो जाना इस बात की दलील है कि उन्हें इसके इलावा से भी रोका जाएगा।

हुक्मे कुतुब में तौफ़ीक़[1] बहुत वाज़ेह है जवाज़नफ़्से मसला का फ़ी–ज़ातिही हुक्म है–

और मुमानअत ब वजहे आ़रिज़े ग़ालिब तो फ़तवा न होगा, मगर मना मुतलक़ पर, फ़िक़्ह में उसके नज़ाइर बकसरत हैं कि ब–रिआयते क़ुयूद हुक्मे जवाज़ और उसकी तसहीह तक कुतुब में मुसर्रह और नज़र बहाले ज़माना हाले उलमा, मना मुतलक़न जैसे जवारे हरम[2] व दुख़ूले ज़नाँ ब हम्माम व नफ़्क़ए तालिबे इल्म[4] व

1. ततबीक़: यह एक सवाल का जवाब है कि फ़िक़्ह की बाज़ किताबों में औरतों के लिए ज़ियारते क़ुबूर को जाइज़ बताया गया है और बाज़ में नाजाइज़, तो दोनों में मुताबक़त कैसे होगी? एक उमदा ततबीक़ तो नं॰ 13 के तहत आ रही है। यहां नं॰ 5 में यह फ़रमा रहे हैं कि ततबीक़ इस तरह है कि हालात व अवारिज़ से क़तअ़े नज़र ख़ुद मसलए ज़ियारते क़ब्र को देखिये तो ज़ियारत औरत के लिए जाइज़ है। लेकिन औरतों और ज़माना के हालात व अवारिज़ पर नज़र कीजिये तो नाजाइज़ है और यह अवारिज़ ऐसे हैं जो अक्सर व बेश्तर पाये जाते हैं। शाज़ो नादिर उनसे महफ़ूज़ रहने की सूरत मिलती होगी। लिहाज़ा फ़िक़्ही हुक्म यह होगा कि औरतों के लिए सिवाए ज़ियारते रौज़ए अनवर के दिगर मज़ारात की हाज़िरी नाजाइज़ है। क्योंकि फ़िक़्ह का हुक्म अक्सर ही के लिहाज़ से होता है, इसकी बहुत सी मिसालें हैं कि फ़िक़्ही किताबों में ख़ास क़ैदों के साथ किसी अमर का जाइज़ लिखा गया है और इस हुक्मे जवाज़ को अहले तस्हीह ने बाद की किताबों में सही व दुरुस्त भी बताया। मगर हालाते ज़माना देखकर उलमा ने इस अमर से मुतलक़न मुमानअत फ़रमाई। मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने यहां उसकी चन्द मिसालें सराहतन गिनाई हैं।

2. जवारे हरम, हरम पाक में सुकूनत का हुक्म फ़तहुल क़दीर की इबारत से गुज़रा कि यह अक्सर लोगों के अहवाल की बुनियाद पर नाजाइज़ है। क्योंकि उमूमन ज़्यादा दिन रहने के बाद हरम की कमा हक़्क़हू ताज़ीम व तौक़ीर न कर पायेंगे ग़ाफ़िल होकर ख़ता

लइबे शतरन्ज[5] वग़ैरहा अव्वल व सोम की इबारात गुज़रीं दुर्रे मुख़्तार में दर बारहे दोम है। فِي زَمَانِنَا لَا شَكَّ فِي الْكَرَاهَةِ हमारे ज़माने में इसके मकरूह होने में कोई शुब्हा नहीं।

काफ़ी व जामेउर्रुमूज़ व रद्दुल मुहतार में दरबारहे अख़ीर है।

هُوَ حَرَامٌ وَكَبِيرَةٌ عِنْدَنَا हमारे नज़दीक तो शतरंज खेलना हराम और गुनाहे कबीरा है और

भी कर बैठेंगे। नतीजतन सवाब ज़ाया गुनाह लाज़िम और मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह ने तो यह फ़रमाया कि अगर अइम्मए कराम हमारे ज़माने में होते और हमारा हाल उन पर खुलता तो वह तमाम हज़रात बिला इख़्तिलाफ़ सुकूनते हरम को साफ़–साफ़ हराम कहते।

3. शहरों में आम लोगों के नहाने के लिए गर्म पानी वग़ैरह के इन्तज़ाम के साथ मकानात बने होते हैं। जिन्हें हम्माम कहते हैं, उन्हीं हम्मामों में औरतों का जाना नाजाइज़ कहा गया क्योंकि वहां बे–पर्दगी का लाज़मी अन्देशा बल्कि अक्सर वक़ूअ है। यहां भी अक्सर ही के लिहाज़ से आम हुक्म कर दिया गया है। इस बाब में आगे दुर्रे मुख़्तार की इबारत है।

4. नफ़्क़ए तालिबे इल्म—— बाप पर बालिग़ तालिबे इल्म फ़रज़न्द का नफ़्क़ा वाजिब है या नहीं? इससे मुतअल्लिक़ दुर्रे मुन्तक़ा की इबारत गुज़री जिसमें अक्सर ही के हालात की बुनियाद पर हुक्म जारी किया गया।

5. शतरंज खेलना बाज़ लोगों ने इस लिहाज़ से इसको जाइज़ कहा कि इससे बारीक–बीनी व दूर–अन्देशी पैदा होती है। जंगी दाँव समझने और चलाने में मदद मिलती है यह हुक्म भी इस शर्त व क़ैद के साथ कि उसमें हार–जीत न हो, कोई नमाज़ वक़्त से मुअख़्ख़र न हो, फ़ुहश गोई और किसी ममनूअ चीज़ का इरतिकाब न हो, हमारे अइम्मए किराम ने अहादीसे करीम और हालाते अक्सर के पेशे नज़र यही हुक्म दिया कि शतरंज खेलना मुतलक़न हराम और गुनाहे कबीरा है। फ़ाज़िले बरेलवी क़ुद्दिसा सिर्रहू ने इससे मुतअल्लिक़ काफ़ी, जामेउर्रुमूज़ और रद्दुल मुहतार की इबारत पेश की।

हासिले कलाम यह कि हुक्मे फ़िक़्ह बएतेबार अक्सर होता है और जहां औरतों के लिए ज़ियारते क़ुबूर को जाइज़ कहा गया है तो अक्सर हालात व अवारिज़ के पेशे नज़र नहीं। बल्कि सिर्फ़ इस पर नज़र करते हुए कि क़ब्रों की ज़ियारत अच्छी चीज़ है। दुनिया से बेरग़बत करती है, आख़िरत को याद दिलाती है, यह इन क़ैदों के साथ कि बे सब्री आह व ज़ारी वग़ैरह ममनूआत का इरतिकाब न करें—— और जहां नाजाइज़ कहा गया तो ज़माना और औरतों के उमूमी हालात पर नज़र करते हुए फ़िक़्ही हुक्म अक्सर ही के लिहाज़ से होता है तो फ़तवा इसी पर होगा कि औरतों के लिए ज़ियारते क़ुबूर को जाना मुतलक़न नाजाइज़ है।

وَفِيْ اِبَاحَتِهٖ اِعَانَةُ الشَّيْطَانِ عَلَى الْاِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِيْنَ

उसे जाइज़ रखने में शैतान को इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ मदद देना है।

फ़क़ीह का हुक्म ग़ालिब के एतिबार पर होता है

इस तक़रीर से उसका जवाब वाज़ेह हो गया कि अगरचे ऐसी औरत हज़ारों में एक हो, जैसी हज़ारों में हज़ार हों जब भी मोअ़तबर नहीं कि हुक्में फ़िक़्ह ब–एतिबारे ग़ालिब (अक्सर) के होता है, न कि हज़ारों में एक यहीं से बिरयानियों का हॉल खुल गया। दस हज़ार बिरयानियाँ मुरदार मेंढे, दुम्बे, बकरे की हों और उन में दस हज़ार उन मज़बूह (शरअ़ी तौर पर ज़बह किया हुआ) जानवरों की मुख़तलत (एक दूसरे से मिला हुआ ख़ल्त मल्त) हों बीस हज़ार हराम हैं। यहाँ तक कि इन में तहर्री (अपने दिल की राय मालूम करना कि किसी दो या चन्द में मुनासिब व लाइक़ और दुरुस्त क्या है।) करके जिसकी तरफ़ हिल्लत का ख़्याल जमे उसे खाना भी हराम न कि दस हज़ार में एक—— दुर्रे मुख़्तार में है।

تُعْتَبَرُ الْغَلَبَةُ فِيْ اَوَانٍ طَاهِرَةٍ وَّ نَجِسَةٍ وَّ مَيْتَةٍ وَّ ذَكِيَّةٍ فَاِنِ الْاَغْلَبُ طَاهِرًا تَحَرّٰى وَ بِالْعَكْسِ وَ السَّوَاءِ لَا۔

पाक व नापाक बर्तनों और मुर्दार व मज़बूह जानवरों में ग़ल्बा का एतिबार किया जायेगा। अगर अक्सर पाक हों तो तहर्री करे और जिधर दिल जमे कि यह पाक है उसे इस्तेमाल करे। लेकिन अगर अक्सर नापाक हों या दोनों बराबर हों तो तहर्री न करे। क्योंकि इन दोनों सूरतों में सब नापाक क़रार दिये जायेंगे।

हाँ! एक हलाल जुदा मुमताज़ मालूम हो तो कसरते हराम

से उस पर क्या असर, मगर यहाँ[1] सुन चुके कि फ़साद व सलाह क़ल्बे मुज़मर व तमीज़ मुतअज़्ज़र ना मुयस्सर, दुर्रे मुन्तक़ा की इबारत अभी गुज़री, फिर ग़ल्बए फ़साद मुतयक़्क़न तो क़तअ़न मुतलक़न हुक्मे मुमानअ़त मुतअय्यन जैसे वह बीसों हज़ार बिरयानियाँ सब हराम हुईं। हॉलाकि उनमें यक़ीक़न दस हज़ार हलाल थीं। यही मसलक उलमाए किराम चले।

अ़ैनी शरहे बुख़ारी जिल्द सोम की इबारत आपने नक़ल की उसमें[2] न ज़नाने मिस्र से हुक्म ख़ास है न मुग़न्निया व दल्लाला की तख़सीस इसमें सोलह सिनफ़े फ़सादे ज़नाँ बयान कीं जिनमें दो यह हैं, और फ़रमाया और इसके सिवा और बहुत सं असनाफ़ क़वाइदे शरीअ़त के ख़िलाफ़।

---

1. यहां यह हाल नहीं कि किसी एक का अन्देशए फ़ितना मा[...] व महफ़ूज़ होना क़तई तौर पर मालूम हो, यहां तो सारी औरतों के बारे में कला[...] किसके दिल में क्या है कुछ पता नहीं, दिल की अच्छाई बुराई तो पोशीदा ची[...] और इम्तियाज़ मुश्किल व दुशवार तो यहां इस चीज़ पर क़ियास कैसे हो सकता है [...] का अलग मुमताज़ तौर पर हलाल होना क़तअ़न मालूम है——फिर जब अ[...]र औरतों में फ़साद व ख़राबी का होना यक़ीनी है तो उसूले शरीअ़त के मुताबिक़ मुमानअ़त ही मुतअय्यन है। जैसे दस हज़ार बिरयानियों में दस हज़ार नापाक बिरयानियां मिल जायें और पता न चले कि कौन पाक है, कौन नापाक है, तो बीसों हज़ार हराम।

2. फ़ाज़िल साइल ने अल्लामा महमूद अ़ैनी हनफ़ी की किताब उमदतुल क़ारी शरह बुख़ारी की एक इबारत नक़ल करके यह इस्तदलाल करना चाहा था कि मुमानअ़त सिर्फ़ फ़ासिक़ा औरतों के लिए, सब के लिए नहीं——इमाम अहमद रज़ा अ़लैहिर्रहमा उसके जवाब में फ़रमा रहे हैं कि अ़ैनी में मुमानअ़त फ़ासिक़ा औरतों के साथ ख़ास नहीं की है। अपनी नक़ल की हुई इबारत से एक सफ़्हा पहले देखिये जहां इन्होंने हुक्मे मसला बयान किया है वहां सभी औरतों के लिए मुमानअ़त लिखी है और बताया है कि मुमानअ़त की वजह यही फ़ितने का अन्देशा है, यह नहीं कि बदकारी व फ़ितना वाक़ेअ़ हो, जभी मुमानअ़त हो——और आपने अल्लामा अ़ैनी की जो इबारत नक़ल की है उसमें तो फ़साद व ख़राबी के लिहाज़ से औरतों की सोलह क़िस्मों का बयान है। जिनमें मुग़न्निया (गाने वाली) और दल्लाला (दर्मियानी बनकर दो में बुराई या बुराई का राबता पैदा करने वाली हैं) फिर बयान किया है कि इनके इलावा और भी ख़िलाफ़े शरअ़ क़िस्में हैं। आपकी मनक़ूला इबारत में यह कहां है कि मुमानअ़त सिर्फ़ इन्हीं फ़ितना–गर और फ़साद वाली औरतों के लिए ख़ास है।

हन्फ़ी उलमा ने हुक्म मुतलक़ रखा है न कि फ़साद फ़ित्तना बरपा करने वाली औरतों के साथ ख़ास

और बताया कि उम्मुल मुमेनीन अपने ही ज़माना की औरतों को फ़रमाती हैं कि उनमें बाज़ उमूर हादिस हुए, काश इन हादसात को देखतीं कि जब उनका हज़ारवाँ हिस्सा न थे। अपनी इबारते मनक़ूला से एक ही वरक़ पहले देखिये जहाँ उन्होंने अपने अइम्मए हनफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम का मज़हब नक़ल फ़रमाया है कि हुक्म मुतलक़ रखा है, न कि ज़नाने फ़ितना–गर से ख़ास और उसकी इल्लत ख़ौफ़े फ़ितना बताई है न कि ख़ास वक़ूअ यही बि अ़ैनेही नस्से हिदाया है।

يُكْرَهُ لَهُنَّ حُضُوْرُ الْجَمَاعَةِ يَعْنِى الشَّوَابَّ مِنْهُنَّ لِمَافِيْهِ مِنْ خَوْفِ الْفِتْنَةِ

औरतों के लिये जमाअत की हाज़िरी मकरूह है। यानी जवान औरतों के लिये क्योंकि उसमें फ़ितनें का अन्देशा है।

हाँ! जिन से वक़ूअ हो रहा है, जैसे ज़नाने मिस्र उनके लिये हराम ब दर्जए औला बताया है कि जब ख़ौफ़े फ़ितना पर हमारे अइम्मा मुतलकन हुक्मे हुर्मत फ़रमा चुके तो जहाँ फ़ितने पूरे हैं। वहाँ का क्या ज़िक्र?

औरत के लिए जमाअत में शमूलियत मकरूह है

इबारते अ़ैनी यह है–

قَالَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ يُكْرَهُ

साहिबे हिदाया ने फ़रमाया औरतों के लिए 'जमाअतों' की हाज़िरी

ل أَقُوْلُ لَا بَلْ هُوَ نَفْسُ نَصِّ الْهِدَايَةِ كَمَا سَمِعْتَ ١٢ منه غفرله

ل मैं कहता हूं, यह बाज़ शारेहीन का क़ौल नहीं, बल्कि ख़ुद हिदाया ही की इबारत है जैसा कि सुन चुके।

مکروہ है। उस पर बाज़ शारेहीन ने कहा यानी जवान औरतों के लिए, मुसन्निफ़ का कौल जमाअतों, जुमा, ईदैन, कुसूफ़ इस्तिसका सबको शामिल है। इमाम शाफ़ई से मरवी है कि औरतों के लिये जमाअत में आना जाइज़ है। हमारे लोगों ने कराहत की दलील यह दी है कि औरतों के निकलने में फ़ितने का अन्देशा है और यह निकलना एक हराम काम का सबब है और जो काम हराम तक पहुँचाने वाला हो वह हराम ही है इसके पेशे नज़र 'मकरूह' से हमारे उलमाए किराम कि मुराद "हराम" ख़ास कर इस ज़माने में इसलिये कि अब अहले ज़माना में फ़साद और बुराई आम है।

لَهُنَّ حُضُوْرُ الْجَمَاعَاتِ قَالَتْ
شُرَّاحٌ يَعْنِي الشَّوَابَّ فِيْهِنَّ
وَقَوْلُهُ الْجَمَاعَاتِ يَتَنَاوَلُ
الْجُمَعَ وَالْاَعْيَادَ وَالْكُسُوْفَ
وَالْاِسْتِسْقَاءَ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ
يُبَاحُ لَهُنَّ الْخُرُوْجُ قَالَ اَصْحَابُنَا
لِاَنَّ فِيْ خُرُوْجِهِنَّ خَوْفَ
الْفِتْنَةِ وَهُوَ سَبَبٌ لِلْحَرَامِ وَ
مَا يُفْضِيْ اِلَى الْحَرَامِ حَرَامٌ فَعَلٰى
هٰذَا قَوْلُهُمْ يُكْرَهُ مُرَادُهُمْ
يَحْرُمُ لَاسِيَّمَا فِيْ هٰذَا الزَّمَانِ
لِشُيُوْعِ الْفَسَادِ فِيْ اَهْلِهٖ۔

फिर उसी सफ़हा पर अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का जुमा के दिन औरतों को कंकरियाँ मारकर मस्जिद से निकालना और इमामे अजल इब्राहिम नख़ई ताबई का अपने यहाँ कि मस्तूरात को जुमा व जमाअत में न जाने देना ज़िक्र किया *कमा त-क़द-द-म* इनाया से गुज़रा कि अमीरूल मुमेनीन फ़ारूके आज़म ने औरतों को हुज़ूरे मस्जिद से मना फ़रमाया।

औरतों के लिए ज़ियारते क़ुबूर की मुमानअत अहम है

क्या मदीना तय्यबा की वह बीबीयाँ कि सहाबियात व ताबईयात थीं और उन इमामे अजल्ल ताबई की मस्तूरात मआज़ अल्लाह फ़ितना–गर व अहले फ़साद थीं ? हाशा हरगिज़ नहीं *या लल ह–जब*! अगर सहाबा व ताबईन किराम को भी कहा जाये कि सबको एक लकड़ी हाँका और मुत्तक़ीन व फ़ुज्जार (परहेज़गारों, फ़ाजिरों, बद अ़मलों) का फ़र्क़ नहीं किया हाशा सुम्मा हाशाहुम तो साबित हुआ कि मना आ़म है। सिर्फ़ फ़ासिक़ात से ख़ास नहीं और उनका खुसूसन ज़िक्र फ़रमाकर ज़नाने मिस्र के ख़साइल गिनाना इसलिये है कि उन पर बदर्जए औला हराम है, न कि फ़क़त फ़ितना उठाने वालियों को मुमानअ़त है या वह भी सिर्फ़ मुग़न्निया व दल्लाला को।

उसी ने आपकी मनक़ूला इबारते अ़ैनी जिल्द चहारुम का मतलब वाज़ेह कर दिया कि हुक्म यह बयान फ़रमाया कि अब ज़ियारते क़ुबूर औरतों को मकरूह ही नहीं, बल्कि हराम है। यह न फ़रमाया कि वैसी को हराम है, ऐसी को हलाल है, वैसी को तो पहले भी हराम था, इस ज़माना की क्या तख़सीस आगे फ़रमाया खुसूसन ज़नाने मिस्र और उसकी तअ़लील (इल्लत बताई, सबब बयान किया) कि उनका खुरूज (निकलना) बर वजहे फ़ितना है। यह वही तहरीम की वजह है, न की हुक्म वक़ूअ़े फ़ितना से ख़ास और फ़ितना–गर औरतों से मख़सूस, हाँ! यह मसलक शाफ़ईया का है। अभी इमाम अ़ैनी से सुन चुके कि عَنِ الشَّافِعِيِّ يُبَاحُ لَهُنَّ الْخُرُوْجُ व लिहाज़ा किरमानी फिर असक़लानी फिर क़स्तलानी कि सब शाफ़ईया हैं। शुरूहे बुखारी में इस तरफ़ गये। किरमानी ने क़ौले इमाम तय्यमी कि इस हदीस में फ़सादे बाज़ ज़नान के सबब

से औरतों की मुमानअत पर दलील है नक़ल करके कहा—

قُلْتُ الَّذِیْ یَعُوْلُ عَلَیْہِ مَا قُلْنَا وَلَمْ یَحْدُثِ الْفَسَادُ فِی الْکُلِّ

मैंने कहा मुअतमद वही है। जो हमने बयान किया, सब औरतों में ख़राबी नहीं पैदा हुई है।

उनके इस ख़्याल के दो शाफ़ी[1] जवाब गुज़रे और तीसरा[2] सबसे आला बे—इज़नेहि तआला अनक़रीब आता है इमाम ऐनी ने यहाँ उससे तअर्रुज़ (छेड़ना, पेश आना) न फ़रमाया कि इसी हदीस के नीचे डेढ़ ही वरक़ पहले अपने मज़हब और अपने अइम्मा का इर्शाद बता चुके।

ज़ियारते क़ुबूर की औरतों को उस वक़्त इजाज़त थी जब मस्जिद में उनका जाना मुबाह था

इबारत ग़ुनिया कि आपने नक़्ल की उससे ऊपर की सतर

1 व 2. एक जवाब तो यह कि दिल की सलाह व फ़साद पोशीदा चीज़ है। क्या पता किसके दिल में सलाह व दुरुस्ती है, फ़साद नहीं, और किस में फ़साद व ख़राबी है सलाह नहीं। दूसरा जवाब यह कि हज़रत फ़ारूके आज़म हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर और एक जलीलुल क़द्र ताबई रज़ियल्लाहु तआल अन्हुम ने अपने ज़माना और अपने घर की औरतों को रोका। जब दौरे सहाबा और ताबईन में हालत बदल गई और औरतों को रोका गया तो क्या इस ज़माने की औरतें उन ज़मानों की ख़्वातीन से बेहतर हैं कि उनसे अन्देशा था, इनसे अन्देशा नहीं। जब वह रोकी गयीं तो इन्हें तो बदर्जए औला रोका जाएगा—तीसरा जवाब यह आ रहा है कि हमने माना कि औरत सालिहा व पारसा है उससे अन्देशए फ़ितना नहीं मगर फ़ितना यहीं तक महदूद नहीं। फ़ितना एक और है जो इससे भी सख़्त है। फ़ासिक़ों, बदकारों की तरफ़ से औरत पर फ़ितने का अन्देशा है (जैसा कि इस ज़माना में तजर्बा व रोज़मर्रा है) यहां औरत की नेकी और पारसाई क्या काम देगी? इस फ़ितने का क्या इलाज? बहरहाल औरत से अन्देशा हो या औरत पर अन्देशा हो दोनों ख़तरनाक हैं। लिहाज़ा मुमानअत ज़रूर होगी, काश अगर औरतें अहकामे इस्लाम पर अमल पैरा होकर अन्दरूने ख़ाना रहकर अपनी पाक दामनी महफ़ूज़ रखतीं तो बदमाशों, आवारा—गर्दों को इस्मत—दरी और ज़ुल्म व सितम के यह मवाक़े फ़राहम न होते जिन पर आज बार—बार एहतिजाज हो रहा है और कोई हल नज़र नहीं आता ख़ुद औरतें अपने को इस्लामी शरीअत के दाइरे में रखें तो बड़ी हद तक अमान और बहुत से फ़ितनों का सद्दे बाब हो जाये वरना इस्लामी शरीअत के अहकाम ठुकराने का अंजाम और भी अफ़सोसनाक हो सकता है ख़ुदा हिदायत दे और हिफ़ाज़त फ़रमाये। आमीन०

देखिये कि इजाज़त उस वक़्त थी जब उन्हें मस्जिदों में जाना मुबाह था अब मस्जिदों की मुमानअत देखिये सबको है या ज़नाने फ़ितना-गर को? उसके सात सतर बाद की इबारत देखिये।

يعضده المعنى الحادث باختلاف الزمان الذى بسببه كره لهن حضور الجمع و الجماعات الذى اشارت اليه عائشة رضى الله تعالى عنها بقولها لو ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رأى ما احدث النساء بعده لمنعهن كما منعت نساء بنى اسرائيل واذا قالت عائشة رضى الله تعالى عنها هذا عن نساء زمانها فما ظنك بنساء زماننا

इसकी ताईद तबदीलीए ज़माना से पैदा होने वाला वह मानी कर रहा है जिसके सबब औरतों के लिये जुमा व जमाअत की हाज़िरी मकरूह हुई, जिस की तरफ़ हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने इस फ़रमान से इशारा किया कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यह हालत देखते जो औरतों ने उनके बाद पैदा कर ली है तो उन्हें रोक देते जैसे बनी इस्राईल की औरतें रोक दी गयीं जब आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने ज़माने की औरतों के बारें में यह फ़रमा रही हैं, तो हमारे ज़माने की औरतों का क्या हाल होगा?

देखिये इसी मनअ़े मसाजिद से सनद[1] ली, जिसका हुक्म आम है तो لما فى خروجهن من الفساد से फ़सादे बाज़ (कुछ) ही मुराद और इसी से मनअ़े कुल मुस्तफ़ाद न कि सिर्फ़ फ़साद वालियों

1व 2. फ़ाज़िल साइल ने ग़ुनियतुल मुस्तमिली की इबारत नक़ल करके इससे भी इस्तदलाल करना चाहा था। इमाम अहमद रज़ा अलैहिर्रहमा ने साइल को उससे आगे पीछे की इबारत दिखाई और बताया कि साहिबे ग़ुनिया ने उस वक़्त की इजाज़त बायान की है, जब औरतों के लिए मस्जिद की हाज़िरी जाइज़ थी। मगर अपने ज़माने के लिए तो वह भी औरतों ज़ियारते क़ुबूर को जाना, नाजाइज़ मानते हैं और दलील में यही पेशकरते

पर कसरे इर्शाद —

क़ब्रों पर जाने वाली औरत मुस्तहिक़्क़े लानत है

गुनिया ने (इन दोनों इबारतों के बीच में आपकी इबारत मन क़ूल करदा मुत्तसिल ब—हवाला तातार ख़ानिया था) यह शअ़बी से जो कुछ नकल फ़रमाया वह भी मुलाहज़ा हो।

سُئِلَ الْقَاضِیْ عَنْ جَوَازِ خُرُوْجِ النِّسَاءِ إِلَی الْمَقَابِرِ قَالَ لَا یُسْئَلُ عَنِ الْجَوَازِ وَالْفَسَادِ فِیْ مِثْلِ ھٰذَا وَإِنَّمَا یُسْئَلُ عَنْ مِقْدَارِ مَا یَلْحَقُھَا مِنَ اللَّعْنِ فِیْھَا وَاعْلَمْ أَنَّھَا کُلَّمَا قَصَدَتِ الْخُرُوْجَ کَانَتْ فِیْ لَعْنَةِ اللهِ وَمَلٰئِکَتِهٖ وَإِذَا خَرَجَتْ تَحُفُّھَا الشَّیَاطِیْنُ مِنْ کُلِّ جَانِبٍ وَإِذَا أَتَتِ الْقُبُوْرَ یَلْعَنُھَا رُوْحُ الْمَیِّتِ وَإِذَا رَجَعَتْ کَانَتْ فِیْ لَعْنَةِ اللهِ

यानी इमाम क़ाज़ी से इस्तिफ़सार हुआ कि औरतों का मक़ाबिर को जाना जाइज़ है या नहीं? फ़रमाया ऐसी जगह जवाज़ व अ़दमे जवाज़ नहीं पूछते, यह पूछो कि उसमें औरत पर कितनी लानत पड़ती है। जब घर से क़ुबूर की तरफ़ चलने का इरादा करती है अल्लाह और फ़रिश्तों की लानत में होती है। जब घर से बाहर निकलती है सब तरफ़ों से शैतान उसे घेर लेते हैं। जब क़ब्र तक पहुँचती है मय्यत की रूह उस पर लानत करती है। जब वापस आती है अल्लाह की लानत में होती है।

है कि औरतों को मस्जिद की हाज़िरी से मुमानअ़त हुई तो क़ब्रों की हाज़िरी से भी मुमानअ़त होगी।—— अब देखिये कि मसाजिद की हाज़िरी से मुमानअ़त सबके लिए है या बाज़ के लिए? जब मस्जिदों की हाज़िरी से मुमानअ़त सबके लिए है तो क़ब्रों की हाज़िरी से मुमानअ़त भी सबके लिए होगी——अब आप अपनी मनक़ूला इबारत पर ग़ौर कीजिये। इबातर यह है (क्योंकि इन औरतों के निकलने में खराबी है) ज़ाहिर है कि यह फसाद व ख़राबी दुनिया की तमाम औरतों में नहीं, सिर्फ़ बाज़ में है—— तो मालूम हुआ कि साहिबे ग़ुनिया फ़सादे बाज़ ही के सबब सबकी हाज़िरीए क़ब्र की मुमानअ़त भी सबके लिए होगी——ऐसा नहीं कि उनका इर्शाद सिर्फ़ फसाद वालियों पर महदूद है।

मुलाहज़ा हो इस्तिफ़ता क्या ख़ास फ़ासिक़ात के बारे में था? मुतलक़ औरतों के क़ब्रों को जाने का सवाल था। उसका यह जवाब मिला, इस जवाब में कहीं फ़ासिक़ात की तख़सीस है? ग़रज़ यह तमाम इबारात जिन से आपने इस्तिदलाल फ़रमाया आपकी नक़ीज़े मुद्दआ में नस हैं।

यहाँ एक नुक्ता और है जिससे औरतों की क़िस्में बनाने उनकी सलाह व फ़साद पर नज़र करने के कोई मानी ही नहीं रहते और क़तअन हुक्म सबको आम हो जाता है अगरचे कैसी सालेहा पारसा हो फ़ितना वही नहीं कि औरत के दिल से पैदा हो वह भी है, और सख़्त–तर है। जिसका फ़ुस्साक़ से औरत पर अन्देशा हो, यहाँ औरत की सलाह क्या काम देगी?

हज़रत ज़ुबैर ने अपनी ज़ौजा को मस्जिदे नबवी में जाने से रोक दिया

हज़रत सय्यदना ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने अपनी ज़ौजा मुक़द्दसा, सालिहा, आबिदा, ज़ाहिदा, तक़िया, नक़िया, हज़रत आतिका रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हा को इसी माना पर अ़मली तौर से मोतनब्बह करके हाज़िरीए मस्जिदे करीम मदीना तय्यबा से बाज़ रखा, उन पाक बीबी को मस्जिदे करीम से इश्क़ था, पहले अमीरुल मुमेनीन उमर फ़ारूके आज़म रज़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु के निकाह में आयीं क़ब्ले निकाह अमीरुल मुमेनीन से शर्त करा ली कि मुझे मस्जिद से न रोकें। उस ज़मानए ख़ैर में महज़ औरतों को मुमानअ़त क़तई जज़मी न थी जिसके सबब बीबीयों से हाज़िरीए मस्जिद और गाह–गाह ज़ियारते बाज़ मज़ारात भी मनक़ूल, सहीहैन में हज़रत उम्मे अ़तिया रज़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से है।

نُهِينَا عَنْ اِتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا۔

हमें जनाज़ों के पीछे जाने से मना फ़रमाया गया मगर क़तई मुमानअ़त नहीं थी।

उसी पर ग़ुनिया की इस इबारत में फ़रमाया कि यह उस वक़्त था जब हाज़िरीए मस्जिद उन्हें जाइज़ थी। अब हराम और क़तई ममनूअ़ है। ग़रज़ इस वजह से अमीरूल मुमेनीन ने उनकी शर्त क़ुबूल फ़रमा ली, फिर भी चाहते यही थे कि यह मस्जिद न जायें। यह कहतीं आप मना फ़रमा दें मैं न जाऊंगी। अमीरूल मुमेनीन ब पाबन्दीए शर्त मना न फ़रमाते, अमीरूल मुमेनीन के बाद हज़रत ज़ुबेर रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु से निकाह हुआ, मना फ़रमाते वह न मानतीं, एक रोज़ उन्होंने यह तदबीर की कि इशा के वक़्त अंधेरी रात में उनके जाने से पहले राह में किसी दरवाज़े में छुप रहे, जब यह आयीं, उस दरवाज़े से आगे बढ़ीं थीं कि उन्होंने निकल कर पीछे से उनके सरे मुबारक पर हाथ मारा और छुप रहे हज़रत आ़तिका ने कहा–

اِنَّا لِلّٰہِ، فَسَدَ النَّاسُ — हम अल्लाह के लिये हैं, लोगों में फसाद आ गया।

यह फ़रमा कर मकान को वापस आयीं और फिर जनाज़ा ही निकला तो हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु ने उन्हें यह तम्बीह फ़रमाई कि औरत कैसी ही सालेहा हो उसकी तरफ़ से अन्देशा न सही फ़ासिक़ मर्दों की तरफ़ से उस पर ख़ौफ़ का क्या इलाज?

यह मुमानअ़त रफ़्ए शर के लिये है

अब यह सबको एक फाँसी पर लटकाना हुआ, या मुक़द्दस पाक दामनों की इज़्ज़त को शरीरों के शर से बचाना? हमारे अइम्मा ने दोनों इल्लतें इर्शाद फ़रमायीं इर्शादे हिदाया لِمَا فِيهِ مِن दोनों को शामिल है, औरत से ख़ौफ़ हो या औरत पर ख़ौफ़ हो और आगे इल्लते दोम की तसरीह फ़रमायी कि – خَوْفُ الْفِتْنَةِ

لَا بَاسَ لِلْعَجُوزِ اَنْ تَخْرُجَ — फ़ज्र, मग़रिब और इशा के अन्दर बुढ़िया को आने में हर्ज नहीं और

فِی الْفَجْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ
قَالَا یَخْرُجْنَ فِی الصَّلٰوٰتِ
کُلِّھَا لِاَنَّہٗ لَا فِتْنَۃَ لِقِلَّۃِ
الرَّغْبَۃِ اِلَیْھَا وَلَہٗ اَنَّ فَرْطَ
الشَّبَقِ حَامِلٌ فَتَقَعُ الْفِتْنَۃُ
غَیْرَ اَنَّ الْفُسَّاقَ اِنْتِشَارُھُمْ
فِی الظُّھْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْجُمُعَۃِ

इमाम अबू यूसुफ व इमाम मुहम्मद कहते हैं कि बुढ़िया तमाम नमाज़ों में हाज़िर हो इसलिए कि उसके निकलने में फ़ितना नहीं क्योंकि उसकी तरफ रग़बत कम होती है। इमाम आज़म की दलील यह है कि ज़्यादतीए शहवत यहां बर अंगेख़्ता करती है, तो फ़ितना वाक़ेअ हो जायेगा। हाँ यह कि फ़ुस्साक़ व ऊबाश ज़ुहर, अस्र और जुमा के अवक़ात में इधर–उधर फैले रहते हैं तो उन ही अवक़ात में बुढ़िया के लिये मुमानअत हुई।

ग़ल्बए फ़साद के पेशे नज़र जमाअ़त में औरत की शिरकत मना है

मुहक़्क़िक़े अ़लल इतलाक़ ने फ़तहुल क़दीर में फ़रमाया—

بِالنَّظَرِ اِلَی التَّعْلِیْلِ الْمَذْکُوْرِ
مُنِعَتْ غَیْرُ الْمُزَیَّنَۃِ اَیْضًا
لِغَلَبَۃِ الْفُسَّاقِ وَ لَیْلًا وَّ اِنْ
کَانَ النَّصُّ یُبِیْحُہٗ لِاَنَّ الْفُسَّاقَ
فِیْ زَمَانِنَا اَکْثَرُ انْتِشَارِھِمْ
وَ تَعَرُّضِھِمْ بِاللَّیْلِ وَ عَمَّمَ

दलीले मज़कूर के पेशे नज़र ऐसी औरत को भी रोका गया जो ख़ुद बदकार नहीं क्योंकि बदमाशों का ग़ल्बा है और रात को भी मुमानअत है अगरचे नस्से इमाम से इसका जवाज़ साबित होता है। इसलिए कि हमारे ज़माने में फ़ासिक़ों बदकारों की चलत फिरत और छेड़–छाड़ ज़्यादातर रात ही को होती है और बाद के उलमा

المتأخرون المنع للعجائز
والشواب في الصلوات كلها
لغلبة الفساد في سائر الأوقات

ने तो बूढ़ियों, जवानों सबके लिये तमाम नमाज़ों में आम मुमानअ़त कर दी है क्योंकि अब तमाम अवक़ात में फ़साद व ख़राबी का ग़ल्बा है।

इस मज़मून की इबारत जमा की जायें तो एक किताब हो ख़ुद उसी उम्दतुल क़ारी जिल्द सोम में अपनी इबारते मनक़ूला से सवा सफ़हा पहले देखिए।

فيه (أي في الحديث) أنه ينبغي
(أي للزوج) أن يأذن لها و
لا يمنعها مما فيه منفعتها وذلك
إذا لم يخف الفتنة إليها ولا بها و
قد كان هو الأغلب في ذلك الزمان
بخلاف زماننا هذا فإن الفساد
فيه فاش والمفسدون كثيرون
وحديث عائشة رضي الله تعالى
عنها يدل على هذا

हदीस में है कि शौहर को चाहिये कि औरत को इजाज़त दे दे और उसे ऐसे काम से न रोके जिसमें उसका फ़ाइदा है। यह हुक्म उस हालत में है जब कि औरत से और औरत पर फ़ितने का अन्देशा न हो और सरकार के मुबारक ज़माना में ऐसा ही था बख़िलाफ़ हमारे ज़माना के कि इसमें बुराई फैली हुयी है और मुफ़सेदीन बदअ़मल ज़्यादा हैं हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा की हदीस भी उसका पता दे रही है।

ज़ियारते क़ुबूर औरतों के लिये हराम है

उसी की जिल्दे चहारुम का मतलब वाज़ेह कर दिया कि हुक्म क्या बयान फ़रमाया यह कि अब ज़ियारते क़ुबूर औरतों को मकरूह ही नहीं बल्कि हराम है। यह न फ़रमाया कि वैसी को हराम है, ऐसी को हलाल है, वैसी को पहले भी हराम था, इस ज़माना की क्या तख़सीस?

आगे फ़रमाया ख़ुसूसन ज़नाने मिस्र और उसकी तअ़लील

की कि उनका ख़ुरूज बर वजहे फ़ितना है यही औलवीयते तहरीम की वजह है, न कि हुक्म वक़ूअे फ़ितना से खास और फ़ितना गर औरतों से मखसूस, हां! यह मसलक शाफ़ईयों का है। अभी इमाम अैनी से सुन चुके कि عن الشافعي يباح لهن الخروج व लिहाज़ा किरमानी फिर असक़लानी फिर क़स्तलानी कि सब शाफ़ईया हैं। शुरूहे बुख़ारी में इस तरफ़ गये। किरमानी ने क़ौले इमाम तयमी कि फ़साद बाज़ ज़नान के सबब सब औरतों को मुमानअत पर दलील है। नक़ल करके कहा–

قلت الذي يعول عليه ما قلنا ولم يحدث الفساد في الكل

मैंने कहाः मुअतमद वही है जो हमने बयान किया, सब औरतों में तो ख़राबी नहीं आई है।

जिल्द चहारुम में अबू उमर इब्ने अब्दुल बर्र से देखिए –

اما الشواب فلا تؤمن من الفتنة عليهن وبهن حيث خرجن ولاشئ للمرأة احسن من لزوم قعر بيتها

रहीं जवान औरतें तो उन पर और उन से फ़ितना वाक़ेअ होजाने से बेख़ौफ़ी नहीं यह जहाँ भी निकलें, औरत के लिये अपने घर की तह इख़्तियार करने से बेहतर कोई चीज़ नहीं।

अलहम्दु लिल्लाह! अब तो वजूहे हक़ में कुछ कमी न रही–

शौहर सिर्फ़ चन्द मकामात पर जाने के लिये औरत को इजाज़त दे

ज़रा यह भी देख लीजिये कि हमारे उलमाए किराम ने ख़ुरूजे ज़न के चन्द मवाज़ेअ गिनाए जिन का बयान हमारे रिसाला مروج النجا لخروج النساء में है और साफ़ फ़रमा दिया है कि इनके सिवा में इजाज़त नहीं और अगर शौहर इज़्न देगा तो दोनों गुनहगार होंगे। दुर्रे मुख़्तार में है।

لا تخرج الا لحق لها او عليها

औरत न निकले मगर अपने लिये या अपने ऊपर किसी हक़ के

أَوْ لِزِيَارَةِ أَبَوَيْهَا كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً أَوِ الْمَحَارِمِ كُلَّ سَنَةٍ وَلِكَوْنِهَا قَابِلَةً أَوْ غَاسِلَةً لَا فِيمَا عَدَا ذٰلِكَ وَإِنْ أَذِنَ كَانَا عَاصِيَيْنِ

सबब या हर हफ़्ता में एक बार वालिदैन की मुलाकात के लिये या साल में एक बार दिगर महारिम की मुलाकात के लिये और दाया या नहलाने वाली होने के सबब इनके इलावा सूरतों में न निकले और अगर शौहर ने इजाज़त दे दी तो दोनों गुनहगार होंगे।

नवाज़िले इमाम फकीह अबुल लैस व फतावा ख़ुलासा व फतहुल कदीर वगैरहा में है–

يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يَأْذَنَ لَهَا بِالْخُرُوجِ إِلَى سَبْعَةِ مَوَاضِعَ زِيَارَةُ الْأَبَوَيْنِ وَعِيَادَتُهُمَا وَتَعْزِيَتُهُمَا أَوْ أَحَدِهِمَا وَزِيَارَةُ الْمَحَارِمِ فَإِنْ كَانَتْ قَابِلَةً أَوْ غَاسِلَةً أَوْ كَانَ لَهَا عَلٰى آخَرَ حَقٌّ أَوْ كَانَ لِآخَرَ عَلَيْهَا حَقٌّ تَخْرُجُ بِالْإِذْنِ وَبِغَيْرِ الْإِذْنِ وَالْحَجُّ عَلٰى هٰذَا وَفِيمَا عَدَا ذٰلِكَ مِنْ زِيَارَةِ الْأَجَانِبِ وَعِيَادَتِهِمْ وَالْوَلِيمَةِ لَا يَأْذَنُ لَهَا لَوْ أَذِنَ وَخَرَجَتْ

शौहर के लिये जाइज़ है कि औरत को सात मकामात में निकलने की इजाज़त दे (1) माँ बाप दोनों या किसी एक की मुलाकात (2) उनकी अयादत, (3) उनकी तअज़ीयत, (4) महारिम की मुलाकात (5) अगर दाया हो (6) या मुर्दे को नहलाने वाली हो (7) या उसका किसी दूसरे पर हक हो या दूसरे का उस पर हक हो तो इन आखरी तीन सूरतों में इजाज़त लेकर और बिला इजाज़त भी निकलेगी। हज भी इसी हुक्म में है। इन सूरतों के इलावा अजनबियों की मुलाकात उनकी अयादत और दावते वलीमा के लिये शौहर इजाज़त न दे अगर इजाज़त दी और औरत

كَانَا عَاصِيَيْنِ - गयी तो मर्द व औरत दोनों गुनहगार होंगे[1]।

मुलाहज़ा हो इन में कहीं ज़ियारते क़ुबूर का भी इस्तिसना किया? क्या यह इस्तिसना किसी मुअ़तमद किताब में मिल सकता है?

اَقُوْلُ وَبِاللّٰہِ التَّوْفِیْقُ وَبِہٖ الْوُصُوْلُ اِلٰی ذُرَی التَّحْقِیْقِ मैं कहता हूँ और तौफ़ीक़ अल्लाह ही की तरफ़ से है और उसकी मदद से तहक़ीक़ की बुलन्दियों तक रिसाई है।

महज़ ज़ियारते क़ब्र और ज़ियारते क़ुबूर के लिये औरतों के निकलने में फ़र्क़

इन तमाम मबाहिसे[2] जलीला से बेहमदिल्लाहे तआ़ला एक

1. यह इबारत और यह सात मक़ामात याद रखने के हैं—जिन्होंने औरतों को आने जाने के मामले में जितनी ज़्यादा छूट दे रखी है, उसका शरीअ़त में कहीं पता नहीं। उन्हें अपनी मातहत औरतों के बारे में इतनी खुशफ़हमी रहती है कि जहां किसी औरत ने किसी उर्स, किसी इज्तमाअ, किसी शादी, किसी जलसे में शिरकत, किसी ग़ैर महरम क़राबतदार या किसी दोस्त के यहां हाज़िरी की ख़्वाहिश ज़ाहिर की उन्होंने इजाज़त दी—या इतने से नहीं तो ज़िद और इसरार के बाद तो ज़रूर ताबेअ़ फ़रमान हुए—लोग राहों और ग़ैर महरमों के घरों में औरतों की बेपर्दगी, ना—महरमों से आंखें मिलाकर गुफ़्तगू, या कम से कम अजनबियों वह भी फ़ासिक़ों, फ़ाजिरों बल्कि काफ़िरों, शातिरों, खुदा नातर्सों की नज़र पड़ने का तमाशा खुद देखते हैं—और दूसरों की औरतों के लिए उसे सख़्त ना—पसन्द भी करते हैं और वाक़ई हमीयते इस्लाम का तक़ाज़ा भी यही होना चाहिए। मगर खुद भी तो इजाज़त देते वक़्त अंजाम पर ग़ौर कर लेना चाहिए।—यह और बात है कि मौलाए करीम की तरफ़ से हिफ़ाज़त हो जाए और अस्ल फ़ितने का वक़ूअ़ न हो—मगर बताइये क्या शरीअ़त ने औरत का ना—महरमों, अजनबियों के सामने इस बेपर्दगी की कहीं इजाज़त दी है?—सहाबा व ताबईन तो अपनी पारसा, नमाज़ी, मुत्तक़ी औरतों के लिए वह पाबन्दियां रखीं और अब यह आज़ादियां दी जायें। दोनों हालतों और नज़रियों में कितना फ़र्क़ है?—अब तो पहले से ज़्यादा पाबन्दी की ज़रूरत है—अल्लाह हिदायत दे और शरीअ़ते मुतह्हरा पर अमल की तौफ़ीक़ से नवाज़े—आमीन।

2. यही वह ततबीक़ है जिसका इशारा नं॰ 5 के हाशिया में गुज़रा, हासिल यह कि उलमाए किराम की इबारतों में कोई इख़्तिलाफ़ नहीं। क्योंकि जाइज़ कहने वाले आम उलमा ने यह लिखा है कि औरत के लिए ज़ियारते क़ब्र जाइज़ है, और नाजाइज़ कहने

जलील व दक़ीक़ तौफ़ीक़े अनीक़ ज़ाहिर हुई आम्मए मुजव्वज़ीन "नफ़्से ज़ियारते क़ब्र" लिखते हैं कि इसकी इजाज़त औरतों को भी हुई, ज़ियारते क़ुबूर के लिये "ख़ुरूजे निसा" नहीं कहते आम कुतुब में इसी क़दर है और मानेईने ज़ियारते क़ब्र के लिये औरतों के 'जाने' को मना फ़रमाते हैं। व लिहाज़ा ख़ुरूज इलल मस्जिद की मुमानअत से सनद लाते हैं और इनके ख़ुरुज में ख़ौफ़े फ़ितना से इस्तिदलाल फ़रमाते हैं, तमाम नुसूस कि हमने ज़िक्र किये इसी तरफ़ जाते हैं तो अगर क़ब्र घर में हो या औरत मसलन हज या किसी सफ़रे जाइज़ को गई राह में कोई क़ब्र मिली उस की ज़ियारत कर ली बशर्ते कि जज़अ़ व फ़ज़अ़ व तजदीदे हुज़न व बुका व नौहा व इफ़रात व तफ़रीते अदब वग़ैरहा मुनकराते शरइय्या से ख़ाली हो।

कश्फ़ बुज़दवी (एक किताब का नाम है) में जिन रिवायात से सिहते रुख़सत पर इस्तिनाद फ़रमाया उनका मफ़ाद इसी क़दर है।

حيث قال والاصح ان الرخصة ثابتة للرجال والنساء جميعا

उन्होंने यूं फ़रमाया और सही तर यह है कि रुख़सत मर्द व औरत दोनों के लिये साबित है। क्योंकि मरवी है हज़रत आइशा

वालों ने यह फ़रमाया है कि ज़ियारते क़ब्र के लिए औरतों का जाना मना है। जो जाइज़ कहने वाले हैं वह ज़ियारते क़ब्र को जाइज़ कहते हैं। इस मक़सद से जाने और बाहर निकलने को नाजाइज़ कहते हैं, वह ज़ियारते क़ब्र के लिए जाने और बाहर निकलने को नाजाइज़ कहते हैं। ख़ास ज़ियारते क़ब्र को नहीं— तो अगर ऐसी सूरत हो कि इस मक़सद से निकलना न पाया जाये, और ज़ियारते क़ब्र करलें तो मना करने वाले भी इसे जाइज़ रखेंगे, मसलन (1) क़ब्र घर में है (2) औरत सफ़रे हज (3) या किसी सफ़रे जाइज़ को जा रही है, राह में क़ब्र है उसने ज़ियारत कर ली तो इस क़दर जाइज़ ही होगा। बशर्ते कि ऐसा कोई अमर न पाया जाये जो शरअ़न जाइज़ नहीं—मसलन रोना धोना, बेसब्री, घबराहट, परेशानी ज़ाहिर करना, क़ब्र की बेअदबी या हदे शरअ़ से ज़ियादा ताज़ीम करना वग़ैरह—लेकिन चूंकि यह सारी रिआ़यतें उमूमन औरतों से हो नहीं पातीं —इसलिए फ़ाज़िले बरेलवी आगे फ़रमाते हैं—कि ज़ियादा ख़ैरियत इसी में है कि उन्हें इससे भी रोका जाये (आम इजाज़त न दी जाये) और एक मुस्तहब की तमअ़ में बहुत सी ममनूआ़त का ख़तरा मोल न लिया जाये।

فَقَدْ رُوِیَ اَنَّ عَائِشَۃَ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا کَانَتْ تَزُوْرُ قَبْرَ رَسُوْلِ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّمَ فِیْ کُلِّ وَقْتٍ وَّ اَنَّہَا لَمَّا خَرَجَتْ حَاجَّۃً زَارَتْ قَبْرَ اَخِیْہَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ

रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कब्रे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत तो हर वक़्त करती और जब सफ़रे हज को निकलतीं तो राह में अपने भाई अब्दुर्रहमान की कब्र की ज़ियारत कर लेतीं।

औरतों का ज़ियारते क़ुबूर के लिये जाना मकरूहे तहरीमी है

बहरूर्राइक़ व आलमगीरी व जामेउर्रूमूज़ व मुख़्तारुल फ़तवा व कश्फ़ुल ग़िता, व सिराजिया व दुर्रे मुख़्तार व फ़तहुल मन्नान की इबारतें जिन से तसहीहुल मसाइल में इस्तिनाद किया। हमारे ख़िलाफ़ नहीं, हां मातहे मसाइल पर रद्द हैं, जिसमें मुतलक़ कहा था। "ज़नाँ रा ज़ियारते क़ुबूर बक़ौले असह मकरूह तहरीमी अस्त" लाजरम वही दुर्रे मुख़्तार जिसमें था।

لَا بَاْسَ بِزِیَارَۃِ الْقُبُوْرِ لِلنِّسَاءِ

औरतों के लिये ज़ियारते क़ुबूर में हरज नहीं।

उसी में है–

وَیُکْرَہُ خُرُوْجُہُنَّ تَحْرِیْمًا

औरतों का निकलना मकरूहे तहरीमी है।

जनाज़े में शिरकत की मुमानअत

वही बहरुर्राइक़ जिस में था اَلْاَصَحُّ اَنَّ الرُّخْصَۃَ ثَابِتَۃٌ لَّہُمَا[1] उसी में है।

لَا یَنْبَغِیْ لِلنِّسَاءِ اَنْ یَّخْرُجْنَ فِی الْجَنَازَۃِ لِاَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی

औरतों को जनाज़े में निकलना न चाहिये क्योंकि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन्हें

1. सही तर यह है कि रुख़सते ज़ियारत मर्द व औरत दोनों के लिए साबित है।

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاهُنَّ عَنْ ذٰلِكَ وَقَالَ انْصَرِفْنَ مَازُورَاتٍ غَيْرَ مَاجُورَاتٍ۔

इससे मना किया है और फ़रमाया है कि वह गुनहगार बे सवाब पलटती हैं।

इत्तेबाए जनाज़ा कि फ़र्ज़े किफ़ाया है। जब इसके लिये उनका ख़ुरूज नाजाइज़ हुआ तो ज़ियारते क़ुबूर कि सिर्फ़ मुस्तहब है। उसके लिये कैसे जाइज़ हो सकता है? फिर नफ़्से ज़ियारते क़ब्र जिसके लिये औरत का ख़ुरूज न हो, उसका जवाज़ भी इन्दत्तहक़ीक़ फी नफ़्सेही है कि जिन शुरूते मज़कूरा से मशरूत उनका इजतिमा नज़र बआदते ज़नाँ नादिर है और नादिर पर हुक्म नहीं होता तो सबीले असलम इससे भी रोकना है।

ज़ियारते क़ब्र से मना करने और न मना करने में ततबीक़ और उस पर आला हज़रत का हाशिया

रद्दुल मुहतार और मिनहतुल ख़ालिक़ में है :—

اِنْ كَانَ ذٰلِكَ لِتَجْدِيْدِ الْحُزْنِ وَالْبُكَاءِ وَالنَّدْبِ عَلٰى مَاجَرَتْ بِهٖ عَادَتُهُنَّ فَلَا يَجُوْزُ وَعَلَيْهِ حُمِلَ حَدِيْثُ لَعَنَ اللّٰهُ زَائِرَاتِ الْقُبُوْرِ وَاِنْ كَانَ لِلْاِعْتِبَارِ وَالتَّرَحُّمِ مِنْ غَيْرِ بُكَاءٍ وَالتَّبَرُّكِ بِزِيَارَةِ قُبُوْرِ الصَّالِحِيْنَ فَلَا بَاْسَ اِذَا كُنَّ عَجَائِزَ وَيُكْرَهُ اِذَا كُنَّ شَوَابَّ

अगर यह ग़म ताज़ा करने, रोने और बैन करने के लिये हो जैसा कि औरतों की आदत है तो नाजाइज़ है। उसी पर महमूल होगी यह हदीस कि 'अल्लाह ने ज़ियारते क़ब्र करने वालियों पर लानत की' और अगर इबरत हासिल करने, रोये बग़ैर रहम खाने और क़ुबूरे सालेहीन से बरकत हासिल करने के लिये हो तो जमाअते मस्जिद में हाज़िरी की तरह बुढ़ियों के लिये हर्ज नहीं और जवानों के लिये मकरूह है। रद्दुल मुहतार में इज़ाफ़ा किया कि

كَحُضُوْرِ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ اه زَادَ فِي رَدِّ الْمُحْتَارِ وَهُوَ تَوْفِيْقٌ حَسَنٌ اه وَكَتَبْتُ عَلَيْهِ أَقُوْلُ قَدْ عُلِمَ أَنَّ الْفَتْوٰى عَلَى الْمَنْعِ مُطْلَقًا وَّلَوْ عَجُوْزًا وَّلَوْ لَيْلًا فَكَذٰلِكَ فِي زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ بَلْ أَوْلٰى۔

यह उम्दा ततबीक़ है उस पर मैंने (इमाम अहमद रज़ा) ने हाशिया लिखा, मैं कहता हूँ यह मालूम हो चुका है कि फतवा इस पर है कि ज़माअते मस्जिद की हाज़िरी औरतों के लिये मुतलक़न मना है, अगरचे औरत बूढ़ी हो, अगरचे रात को निकले, तो यूँ ही ज़ियारते क़ुबूर को निकलने में सभी औरतों के लिये मुमानअत होगी बल्कि यहाँ बदर्जए औला होगी।

आपने एक सूरत शेख़ फ़ानी[1] मुरतइश से पर्दे के अन्दर तवज्जोह लेने की ज़िक्र की है। इसमें क्या हर्ज है। जबकि ख़ारिज से कोई फ़ितना न हो न उसे यहाँ से रोका।

अल्लाह की तरफ़ बुलाने वाला सिर्फ़ मर्द ही हो सकता है

मगर वह जो औरत का ख़लीफ़ा होना लिखा, सही नहीं, अइम्मए बातिन का इजमा है कि औरत दाईए[2] इलल्लाह नहीं हो

1. शेख़ फ़ानी, फ़ना के क़रीब पहुंचा हुआ बूढ़ा। मुरतइश—जिसको रअशा और बराबर कपकपी का मर्ज़ हो।

2. दाईए इलल्लाह— अल्लाह की तरफ़ दावत देने वाली, ज़ाहिर है कि अहले बातिन अपनी इस्तलाह में दाईए इलल्लाह उसको नहीं कहते जिसने किसी को नमाज़ व रोज़ा या इस्लाम व ईमान की तलक़ीन कर दी। यह तो हमारी इस्तलाह में दाई व मुबल्लिग़ कहा जाएगा। मगर अहले बातिन दाईए इलल्लाह उसे कहेंगे जो अपनी हिदायत व इर्शाद तर्बियत व तालीम और तज़कियए बातिन के ज़रीया ख़ुदा तक पहुंचने की दावत देने वाला और ख़ुदा तक पहुंचाने वाला जैसा इमाम अब्दुल वहाब शुअरानी अलैहिर्रहमा की इबारत से ज़ाहिर है। यक़ीनन उनके नज़दीक यह औरत का मनसब नहीं, हां! औरत का मनसब इतना ज़रूर है कि अपनी औलाद, महारिम, शौहर या सिर्फ़ औरतों को नेक बातों का हुक्म करे, बुराइयों से रोके अलबत्ता ना महरमों और आम मजमों से ख़िताब करना उसके हुदूद से बाहर है।

सकती, हाँ तदाबीर इर्शाद कर्दाए मुर्शिद बताने में सफ़ीरे महज़ हो तो हर्ज नहीं।

इमाम शुअरानी मीज़ानुश–शरीअतुल कुबरा में फ़रमाते हैं–

قَدْ اَجْمَعَ اَهْلُ الْكَشْفِ عَلَى اشْتِرَاطِ الذُّكُوْرِ فِيْ كُلِّ دَاعٍ اِلَى اللّٰهِ وَلَمْ يَبْلُغْنَا اَنَّ اَحَدًا مِّنْ نِّسَاءِ السَّلَفِ الصَّالِحِ تَصَدَّرَتْ لِتَرْبِيَةِ الْمُرِيْدِيْنَ اَبَدًا لِنَقْصِ لِلنِّسَاءِ فِى الدَّرَجَةِ وَاِنْ وَرَدَ الْكَمَالُ فِيْ بَعْضِهِنَّ كَمَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ وَاٰسِيَةَ اِمْرَاَةِ فِرْعَوْنَ فَذٰلِكَ كَمَالٌ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّقْوٰى وَالدِّيْنِ لَا بِالنِّسْبَةِ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ وَتَمْلِيْكِهِمْ فِيْ مَقَامَاتِ الْوِلَايَةِ وَغَايَةُ اَمْرِ الْمَرْاَةِ اَنْ تَكُوْنَ عَابِدَةً زَاهِدَةً كَرَابِعَةَ الْعَدَوِيَّةِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا۔

अहले बातिन का इस बात पर इजमा व इत्तेफ़ाक़ है कि हर दाईए इलल्लाह के लिये मर्द होना शर्त है और हमें ऐसी कोई रिवायत नहीं मिली कि सल्फ़े सालेहीन की मस्तूरात में से कोई ख़ातून मुरीदों की तरबियत के लिये कभी सदर नशीन हुई हों। क्योंकि औरतें दर्जा में नाक़िस हैं और बाज़ ख़वातीन मसलन हज़रत मरियम बिन्त इमरान और आसिया ज़ौजए फ़िरऔन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के बारे में जो कामिल होने का ज़िक्र आया है, तो यह कामिल होना तक़वा और दीनदारी के लिहाज़ से है। लोगों के दर्मियान हाकिम होने और उन्हें मक़ामाते विलायत तय कराने के लिहाज़ से नहीं है। औरत की ग़ायते शान बस यह है कि आबिदा, ज़ाहिदा हो जैसे राबिया अदविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा।

وَاللّٰهُ سُبْحٰنَهٗ وَتَعَالٰى اَعْلَمُ وَعِلْمُهٗ جَلَّ مَجْدُهٗ اَتَمُّ وَاَحْكَمُ